

## भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101

### भारतीय लेखा मानकों का प्रथम-बार अंगीकरण

(इस भारतीय लेखा मानक में मोटे और सामान्य टाइप में अनुच्छेद हैं जिनका समान प्राधिकार है। मोटे टाइप में अनुच्छेद मुख्य सिद्धान्तों के सूचक हैं।)

### उद्देश्य

---

1. इस भारतीय लेखा मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक प्रतिष्ठान के *प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों* तथा उन वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के भाग के लिए इसकी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टों में उच्च गुणवत्तापूर्ण सूचना का समावेश हो, जो :
  - (क) उपयोगकर्ताओं के लिए पारदर्शी हो तथा प्रस्तुत की गई सभी अवधियों में तुलनीय हो,
  - (ख) 'भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस)' के अनुसार लेखा के लिए समुचित प्रारम्भिक बिन्दु प्रदान करे, तथा
  - (ग) उस लागत पर सृजित हो सकती है जो लाभों से अधिक नहीं है ।

### कार्यक्षेत्र

---

2. प्रतिष्ठान निम्नलिखित में इस भारतीय लेखा मानक का प्रयोग करेगा:
  - (क) इसके प्रथम भारतीय लेखा मानकों वित्तीय विवरणों पर, तथा
  - (ख) प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में, यदि कोई हो, जिसे यह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरणों में द्वारा व्याप्त अवधि के भाग के लिए भारतीय लेखा मानक 34, *अन्तरिम वित्तीय रिपोर्टिंग* के अनुसार प्रस्तुत करता है ।
3. प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण हैं जिनमें प्रतिष्ठान कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानक को अंगीकार करता है तथा भारतीय लेखा

मानकों के अनुपालन संबंधी उन वित्तीय विवरणों में स्पष्ट तथा अनारक्षित वक्तव्य देता है।

4. [देखें परिशिष्ट 1]
- 4क [देखें परिशिष्ट 1]
- 4ख [देखें परिशिष्ट 1]
5. यह भारतीय लेखा मानक प्रतिष्ठान द्वारा लेखा नीतियों में किए गए परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है जो पहले से ही भारतीय लेखा मानकों को लागू करती हैं। ऐसे परिवर्तन निम्नलिखित के विषय हैं :
  - (क) भारतीय लेखा मानक 8, *लेखा नीतियां, लेखा प्राक्कलनों में परिवर्तन एवं त्रुटियां*, में लेखा नीतियों में परिवर्तन सम्बन्धी अपेक्षाएँ; और
  - (ख) अन्य भारतीय लेखा मानकों में विशिष्ट संक्रमणकालीन अपेक्षाएँ ।

## मान्यता एवं माप

### प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र

6. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की *संक्रमणकालीन तिथि* पर *प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र* तैयार करेगा और प्रस्तुत करेगा। अनुच्छेद घ 13 क क तथा घ 22 की अपेक्षाओं के अधीन, यह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार प्रतिष्ठान के लेखा के लिए प्रारम्भिक बिन्दु है।

### लेखा नीतियां

7. प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में तथा अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई शुरु से अन्त तक की सभी अवधियों में समान लेखा नीतियों का प्रयोग करेगा। वे लेखा नीतियाँ अपनी प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में प्रभावी प्रत्येक भारतीय लेखा मानक का, अनुच्छेद 13-19 तथा परिशिष्ट ख-घ में विनिर्दिष्ट मामलों को छोड़कर, अनुपालन करेगी।
8. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के उन विभिन्न पाठांतरों का प्रयोग नहीं करेगा जो पूर्व की तारीखों में प्रभावी थे। प्रतिष्ठान उस नये भारतीय लेखा मानक का प्रयोग कर सकता

है जो अभी अनिवार्य तो नहीं है लेकिन वह भारतीय लेखा मानक के शीघ्र प्रयोग की अनुमति देता है।

### उदाहरण: भारतीय लेखा मानकों के अद्यतन पाठान्तरों का संगत रूप प्रयोग

#### पृष्ठभूमि

प्रतिष्ठान 'क' की प्रथम भारतीय लेखा मानक की रिपोर्टिंग अवधि 31 मार्च, 2017 को समाप्त होती है। प्रतिष्ठान 'क' उन वित्तीय विवरणों में केवल एक वर्ष के लिए तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करने का निर्णय लेता है (देखें अनुच्छेद 21)। अतः भारतीय लेखा मानकों की ओर इसके संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल, 2015 को व्यवसाय के प्रारम्भ में (या इसके समान रूप से, 31 मार्च 2015 को व्यवसाय की समाप्ति पर) होती है। प्रतिष्ठान 'क' ने अपने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार प्रत्येक वर्ष वार्षिक रूप से 31 मार्च तक अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत करता रहा है और यह प्रतिष्ठान 31 मार्च, 2016 तक और इस तारीख को सम्मिलित करते हुए करता है।

#### अपेक्षाओं का प्रयोग

प्रतिष्ठान 'क' को निम्नलिखित के लिए 31 मार्च, 2017 को समाप्त होने वाली अवधियों के लिए प्रभावी भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करना अपेक्षित है:

- (क) 1 अप्रैल, 2015 को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र को तैयार करना और प्रस्तुत करना, तथा
- (ख) 31 मार्च, 2017 को अपना तुलन पत्र (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक राशियों सहित), 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ व हानि विवरण, इक्विटी में हुए परिवर्तनों का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए तुलनात्मक राशियों सहित) तथा प्रकटनों (31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष की तुलनात्मक सूचना सहित) को तैयार करना तथा प्रस्तुत करना।

यदि नया भारतीय लेखा मानक अभी तक अनिवार्य नहीं है किन्तु वह शीघ्र प्रयोग की अनुमति देता है तो प्रतिष्ठान 'क' को भारतीय लेखा मानक को अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रयोग करने की अनुमति है किन्तु ऐसा करना अपेक्षित नहीं है।

9. अन्य भारतीय लेखा मानकों के संक्रमणकालीन प्रावधान एक प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानकों का पहले से प्रयोग करते हैं द्वारा बनाए गए लेखा नीतियों में परिवर्तनों पर लागू होते हैं *भारतीय लेखा मानकों का पहले से ही प्रयोग करते हैं: वे प्रथमबार अंगीकारकर्ता*

भारतीय लेखा मानकों की तरफ प्रथमबार अंगीकारकर्ता के संक्रमण परिशिष्ट ख-घ में यथाविनिर्दिष्ट को छोड़कर, पर लागू नहीं होते हैं ।

10. अनुच्छेद 13-19 और परिशिष्ट ख-घ में यथावर्णित को छोड़कर, प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में :

- (क) उन सभी आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा जिनकी मान्यता भारतीय लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित है;
- (ख) उन मदों को आस्तियों या दायित्वों के रूप में मान्यता नहीं देगा यदि भारतीय लेखा मानक ऐसी मान्यता की अनुमति नहीं देते हैं;
- (ग) ऐसी मदों का पुनर्वर्गीकरण करेगा जिन्हें उसने एक प्रकार की आस्ति, दायित्व या इक्विटी के घटक के रूप में पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अनुसार मान्यता दी है किन्तु वे मदें भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भिन्न प्रकार की आस्ति, दायित्व या इक्विटी का घटक हैं; तथा
- (घ) सभी मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों को मापने में भारतीय लेखा मानकों का प्रयोग करेगा ।

11. वे लेखा नीतियाँ जिनका प्रयोग प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र में करता है, उन नीतियों से भिन्न हो सकती हैं जिनका प्रयोग उसी तारीख पर प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) का प्रयोग करते हुए करता है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पहले की घटनाओं एवं लेन-देनों से उत्पन्न परिणामस्वरूप समायोजन होते हैं । अतः प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण होने की तिथि धारित अर्जनों में (या, यदि उपयुक्त हो तो 'इक्विटी' की दूसरी श्रेणी में) प्रत्यक्षतः समायोजनों को मान्यता देगा ।

12. यह भारतीय लेखा मानक उस सिद्धान्त के अपवादों की निम्नलिखित दो श्रेणियां स्थापित करता है कि प्रतिष्ठान का प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र प्रत्येक भारतीय लेखा मानक का अनुपालन करेगा:

- (क) अनुच्छेद 14-17 तथा परिशिष्ट 'ख' अन्य भारतीय लेखा मानकों के कुछ पहलुओं के पूर्वव्यापी प्रयोग का निषेध करते हैं ।
- (ख) परिशिष्ट ग-घ अन्य भारतीय लेखा मानकों की कुछ अपेक्षाओं से छूट देते हैं ।

## अन्य भारतीय लेखा मानकों के पूर्व व्यापी प्रयोग से छूट

13. यह भारतीय लेखा मानक अन्य भारतीय लेखा मानकों के कुछ पहलुओं के पूर्व व्यापी प्रयोग का निषेध करता है। ये अपवाद अनुच्छेद 14-17 तथा परिशिष्ट ख में निर्दिष्ट किये गये हैं।

## प्राक्कलन

14. भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान के प्राक्कलन पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार समान तारीख के लिए किए गए प्राक्कलनों से संगत होंगे (लेखा नीतियों में किसी प्रकार की भिन्नता को प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजनों के बाद), जब तक इस बात का स्पष्ट साक्ष्य न हो कि उन प्राक्कलनों में कोई त्रुटि है।
15. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि के बाद उन प्राक्कलनों के बारे में सूचना प्राप्त कर सकता है जिन्हें उसने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत बनाया था। अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रतिष्ठान उस सूचना की प्राप्ति को उसी प्रकार लेगा जैसे भारतीय लेखा मानक 10 'रिपोर्टिंग अवधि के बाद की घटनाएँ' के अनुसार रिपोर्टिंग अवधि के बाद गैर-समायोजन घटनाओं को लेता है। उदाहरण के लिए, मान लें कि प्रतिष्ठान की भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि 1 अप्रैल 2015 है तथा 15 जुलाई, 2015 की नयी सूचना 31 मार्च 2015 को पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार किए गए प्राक्कलन के संशोधन की अपेक्षा करती है। प्रतिष्ठान उस नयी सूचना को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में प्रतिबिम्बित नहीं करेगा (जब तक कि लेखा नीतियों में किसी प्रकार की भिन्नताओं के लिए प्राक्कलनों में समायोजन की आवश्यकता नहीं होती है या कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं होता कि वे प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण हैं)। इसकी बजाय, प्रतिष्ठान उस नई सूचना को 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लाभ या हानि में (या, यदि उपयुक्त हो तो अन्य व्यापक आय में) प्रतिबिम्बित करेगा।
16. प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उन प्राक्कलनों को तैयार करने की आवश्यकता हो सकती है जो पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अंतर्गत उस तिथि पर तैयार करना आवश्यक नहीं थे। भारतीय लेखा मानक 10 से संगतता के लिए, वे प्राक्कलन

भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उन परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करेंगे जो भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि को विद्यमान थीं। विशेष रूप से, भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि पर बाजार-कीमतों, ब्याज दरों या विदेशी विनिमय दरों के प्राक्कलन उस तिथि पर बाजार की परिस्थितियों को प्रतिबिम्बित करेंगे।

17. अनुच्छेद 14-16 प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र पर लागू होते हैं। वे प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई तुलनात्मक अवधि के लिए भी लागू होते हैं। इस मामले में, भारतीय लेखा मानकों के प्रति संक्रमण की तिथि के संदर्भों को उस तुलनात्मक अवधि के समाप्त होने के संदर्भों के साथ प्रतिस्थापित किया जाता है।

### **अन्य भारतीय लेखा मानकों से छूट**

18. प्रतिष्ठान परिशिष्ट ग-घ में समाविष्ट छूटों में से एक या अधिक का प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान इन छूटों का प्रयोग अन्य मदों के सादृश्य द्वारा नहीं करेगा।
19. [देखें परिशिष्ट 1]

### **प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन**

20. यह भारतीय लेखा मानक अन्य भारतीय लेखा मानकों में प्रस्तुतिकरण तथा प्रकटन की अपेक्षाओं से छूट नहीं देता है।

### **तुलनात्मक सूचना**

21. प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत किए जाने सभी विवरणों के लिए तुलनात्मक सूचना सहित कम-से-कम तीन तुलन-पत्र, दो लाभ व हानि विवरण, दो नकदी प्रवाह विवरण और दो 'इक्विटी' में परिवर्तनों के विवरण और सम्बन्धित नोट सम्मिलित किये जाएंगे।

### **गैर-भारतीय लेखा मानक तुलनात्मक सूचना तथा ऐतिहासिक सारांश**

22. कुछ प्रतिष्ठान उस प्रथम अवधि के पहले की अवधियों के लिए चयनित आंकड़ों के लिए ऐतिहासिक सारांश प्रस्तुत करते हैं जिसके लिए वे भारतीय लेखा मानक के अनुसार पूरी तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करते हैं। यह भारतीय लेखा मानक, भारतीय लेखा मानकों की मान्यता एवं माप अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए ऐसे सारांश प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं

करता है। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रतिष्ठान पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार तुलनात्मक सूचना के साथ-साथ भारतीय लेखा मानक 1 द्वारा अपेक्षित तुलनात्मक सूचना भी प्रस्तुत करते हैं। पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार तुलनात्मक सूचना या ऐतिहासिक सारांश सहित वित्तीय विवरणों में प्रतिष्ठान:

- (क) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) सूचना को प्रमुखता से लेबल करेगा जैसाकि वह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार नहीं की जा रही है; तथा
- (ख) उन मुख्य समायोजनों की प्रकृति का प्रकटन करेगा जिससे कि यह भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन कर सकेगा। प्रतिष्ठान को उन समायोजनों की परिमाणत्मक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है।

### भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण का स्पष्टीकरण

23. प्रतिष्ठान यह स्पष्ट करेगा कि किस प्रकार पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) से भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण इसके रिपोर्ट किए गए तुलन-पत्र, वित्तीय निष्पादन तथा नकदी प्रवाहों को प्रभावित करता है।

23क [देखें परिशिष्ट 1]

23ख [देखें परिशिष्ट 1]

### समाधान (रेकन्सिलीएशन)

24. अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए, प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित सूचना शामिल की जाएगी:

(क) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार रिपोर्ट की गई इसकी 'इक्विटी' का इसकी भारतीय लेखा मानकों के अनुसार 'इक्विटी' से निम्नलिखित दोनों तिथियों के लिए समाधान :

- (i) भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि ; तथा
- (ii) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार प्रतिष्ठान के सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत की गई अद्यतन अवधि की समाप्ति की तिथि।

- (ख) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार कुल व्यापक आय के प्रति प्रतिष्ठान के सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में अद्यतन अवधि के लिए समाधान । उस समाधान के लिए प्रारम्भिक बिन्दु समान अवधि के लिए पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसरण में कुल व्यापक आय या यदि प्रतिष्ठान इस कुल व्यापक आय को रिपोर्ट नहीं करता है तो पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अधीन लाभ या हानि ।
- (ग) यदि प्रतिष्ठान ने अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन पत्र को तैयार करने में पहली बार किसी क्षतिग्रस्तता हानि को मान्यता दी है या उसे उलटाया है तो भारतीय लेखा मानक 36, *आस्तियों की क्षतिग्रस्तता*, अपेक्षानुसार वे प्रकटन जो आवश्यक होते यदि प्रतिष्ठान ने उन क्षतिग्रस्तता हानियों या उलटावों को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से प्रारम्भ होने वाली अवधि में मान्यता दी हो ।
25. अनुच्छेद 24 (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधानों में पर्याप्त ब्यौरा दिया जाएगा ताकि तुलन पत्र तथा लाभ व हानि विवरण में महत्वपूर्ण समायोजनों को समझने के लिए उपयोगकर्ताओं को सक्षम बनाया जा सके । यदि प्रतिष्ठान ने अपने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत नकदी प्रवाहों का विवरण प्रस्तुत किया है तो यह नकदी प्रवाहों के विवरण में किये गये महत्वपूर्ण समायोजनों को भी स्पष्ट करेगा ।
26. यदि प्रतिष्ठान को पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत की गई त्रुटियों की जानकारी होती है तो अनुच्छेद 24(क) और 24(ख) द्वारा अपेक्षित समाधान लेखा नीतियों में हुए परिवर्तनों और उन त्रुटियों में सुधार के बीच भेद करेंगे ।
27. भारतीय लेखा मानक 8 लेखा नीतियों में हुए उन परिवर्तनों पर लागू नहीं होता है जिन्हें प्रतिष्ठान तब करता है जब वह भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करता है या उन नीतियों के परिवर्तनों पर जब तक वह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत नहीं कर देता है। अतः लेखा नीतियों में परिवर्तनों के लिए भारतीय लेखा मानक 8 की अपेक्षाएँ प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में लागू नहीं होती हैं ।
- 27क यदि अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के दौरान, प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों या इस भारतीय लेखा मानक में समाविष्ट छूटों के प्रयोग में परिवर्तन करता है तो यह अनुच्छेद 23 के अनुसार अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक



अंतरिम वित्तीय रिपोर्ट तथा अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों के बीच हुए परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा तथा अनुच्छेद 24 (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधानों को भी अद्यतन करेगा ।

27कक यदि प्रतिष्ठान अनुच्छेद घ 7 कक के अनुसार दिये गए प्रथमबार छूट विकल्प को अपनाता है तो वह तथ्य तथा लेखा नीति को उस समय तक प्रकट करेगा जब तक कि संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर, निवेश संपत्तियां या अमूर्त आस्तियों, जो भी हों, की मर्दे महत्वपूर्ण रूप से मूल्यह्रासित, क्षतिग्रस्त या उसके तुलनपत्र से अमान्य नहीं हो जाती हैं ।

28. यदि प्रतिष्ठान ने पूर्व अवधियों के लिए वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं तो वह अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इस तथ्य को प्रकट करेगा ।

### **वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों का पदनामांकन**

29. प्रतिष्ठान को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय आस्ति के रूप में पूर्व में मान्य वित्तीय आस्ति को अनुच्छेद घ 19 क के अनुसार पदनामित करने की अनुमति है। प्रतिष्ठान इस तरह ही पदनामित की गई वित्तीय आस्तियों का पदनामांकन की तिथि पर उचित मूल्य का और उनका गत वित्तीय विवरणों में वर्गीकरण तथा अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा ।

29क प्रतिष्ठान को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दायित्व के रूप में पूर्व में मान्य वित्तीय दायित्व को अनुच्छेद घ 19 के अनुसार पदनामित करने की अनुमति दी जाती है। प्रतिष्ठान इस तरह से पदनामित किए गए वित्तीय दायित्वों के पदनामांकन की तिथि पर उचित मूल्य का और उनका गत वित्तीय विवरणों में वर्गीकरण और उनकी अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा ।

### **मानी गई लागत के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग**

30. यदि प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद, एक निवेश संपत्ति या एक अमूर्त आस्ति (देखें अनुच्छेद घ 5 तथा घ 7) के लिए 'मानी गयी लागत' के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग करता है तो प्रतिष्ठान प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र की प्रत्येक रेखीय मद के लिए निम्नलिखित का प्रकटन करेगा :

(क) उन उचित मूल्यों का कुल जोड़; तथा

(ख) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अग्रणीत राशियों के प्रति कुल समायोजन।

## अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेशों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31. इसी तरह, यदि प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों में (देखें अनुच्छेद घ 15) अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी प्रतिष्ठान में निवेश के लिए अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मानी गयी लागत का प्रयोग करता है तो प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक के अनुसार पृथक वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित को प्रकट किया जाएगा :

- (क) उन निवेशों की मानी गयी लागत की कुल राशि जिसके लिए मानी गयी लागत उनके पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि है;
- (ख) उन निवेशों की मानी गयी लागत की कुल राशि जिसके लिए मानी गयी लागत उचित मूल्य है; तथा
- (ग) पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अग्रणीत राशियों के प्रति कुल समायोजन ।

## तेल और गैस आस्तियों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31क यदि प्रतिष्ठान तेल तथा गैस आस्तियों के लिए अनुच्छेद घ 8क (ख) में छूट का प्रयोग करता है तो यह उस तथ्य को तथा उस आधार को प्रकट करेगा जिस पर पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अंतर्गत निश्चित की गई अग्रणीत राशियाँ आबंटित की गई थीं ।

## दर-विनियमन के अधीन परिचालनों के लिए मानी गयी लागत का प्रयोग

31ख. यदि प्रतिष्ठान दर-विनियमन के अधीन परिचालनों के लिए अनुच्छेद घ 8ख में छूट का प्रयोग करता है तो यह उस तथ्य तथा उस आधार को प्रकट करेगा जिस पर पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)के अंतर्गत अग्रणीत राशियाँ निश्चित की गई थीं ।

## अति उच्च मुद्रास्फीति के बाद मानी गयी लागत का प्रयोग

31ग. यदि प्रतिष्ठान उचित मूल्य पर आस्तियों तथा दायित्वों को मापने के लिए और उस उचित मूल्य को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में अति उच्च मुद्रास्फीति (देखें अनुच्छेद घ 26-घ 30) के कारण मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चयन करता है तो प्रतिष्ठान प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में इसके स्पष्टीकरण का प्रकटन करेगा कि प्रतिष्ठान के पास वह कार्यात्मक मुद्रा कैसे और क्यों थी तथा बाद में वह कैसे और क्यों नहीं थी जिसकी निम्नलिखित दो विशेषताएँ हैं:

- (क) उस मुद्रा में किए गए लेन-देनों तथा शेषों वाले सभी प्रतिष्ठानों के पास विश्वसनीय सामान्य कीमत सूचकांक उपलब्ध नहीं होता है ।
- (ख) उस मुद्रा और अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी मुद्रा के बीच विनिमयता विद्यमान नहीं होती है ।

### अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट

32. अनुच्छेद 23 का अनुपालन करने के लिए यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 34 के अनुसार अपने प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अवधि के भाग के लिए अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 34 की अपेक्षाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित अपेक्षाओं को भी पूरा करेगा:

- (क) यदि प्रतिष्ठान ने तत्कालीन पूर्वगामी वित्तीय वर्ष की तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के लिए अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत की है तो ऐसी प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे:

- (i) उस तिथि पर भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत इसकी 'इक्विटी' से तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के अन्त में पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार इसकी 'इक्विटी' का समाधान; तथा
- (ii) उस तुलनात्मक अन्तरिम अवधि के लिए (चालू एवं वर्ष से तिथि तक) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार इसकी कुल व्यापक आय का समाधान । उस समाधान के लिए प्रारम्भिक बिन्दु, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार उस अवधि के लिए कुल व्यापक आय होगी और यदि प्रतिष्ठान उस कुल की रिपोर्ट नहीं करता तो पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जी ए ए पी) के अनुसार लाभ या हानि ।

- (ख) उपर्युक्त (क) द्वारा अपेक्षित समाधानों के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 34 के अनुसार इसके प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में सम्मिलित अवधि के भाग के लिए प्रतिष्ठान की प्रथम अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में अनुच्छेद 24(क) एवं (ख) (अनुच्छेद 25 एवं 26 द्वारा अपेक्षित विवरण द्वारा अनुपूरित) में वर्णित समाधान या दूसरे प्रकाशित प्रलेख का प्रतिसंदर्भ जिसमें ये समाधान शामिल हैं सम्मिलित किए जाते हैं।

- (ग) यदि प्रतिष्ठान अपनी लेखा नीतियों या इस भारतीय लेखा मानक में समाविष्ट इसकी छूटों के प्रयोग में परिवर्तन करता है तो यह अनुच्छेद 23 के अनुसार ऐसी

प्रत्येक अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट में किए गए परिवर्तनों को स्पष्ट करेगा तथा उपर्युक्त (क) एवं (ख) द्वारा अपेक्षित समाधान को अद्यतन करेगा।

33. भारतीय लेखा मानक 34 न्यूनतम प्रकटनों की अपेक्षा करता है जो इस अवधारणा पर आधारित होते हैं कि अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट के उपयोगकर्ताओं की पहुँच सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों तक भी हैं। तथापि, भारतीय लेखा मानक 34 प्रतिष्ठान से यह भी अपेक्षा करता है कि वह 'किसी प्रकार की घटनाओं या लेन-देनों जो वर्तमान अन्तरिम अवधि को समझने के लिए सारवान हैं' को प्रकट करे। अतः, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) के अनुसार अपने सबसे नूतन वार्षिक वित्तीय विवरणों में वर्तमान अन्तरिम अवधि को समझने के लिए सारवान सूचना को प्रकट नहीं किया है, तो इसकी अन्तरिम वित्तीय रिपोर्ट उस सूचना का प्रकटन करेगी या दूसरे प्रकाशित प्रलेख के प्रति संदर्भ शामिल करेगी जिसमें यह सम्मिलित होती है।

## परिशिष्ट क

### परिभाषित शब्दावली

*यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है*

**भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण तिथि**

नवीनतम अवधि का प्रारंभ जिसके लिए प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत प्रथम **भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों** में संपूर्ण तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करता है।

**मानी गयी लागत**

वह राशि जो दी गई तिथि को लागत या मूल्यह्रासित लागत के लिए प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त होती है। परवर्ती मूल्यह्रास या परिशोधन यह मानता है कि प्रतिष्ठान ने दी गई तिथि को आस्ति या दायित्व को प्रारम्भिक तौर में मान्यता दी थी और इसकी लागत मानी गयी लागत के बराबर थी।

**उचित मूल्य**

*उचित मूल्य* वह कीमत है जो माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक सुव्यवस्थित लेन-देन में एक आस्ति की बिक्री पर प्राप्त या दायित्व के अंतरण पर अदा की जाती है (देखें भारतीय लेखा मानक 113, *उचित मूल्य माप*)।

**प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण**

प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण जिनमें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों (इंड ए एस) के अनुपालन के स्पष्ट तथा अरारक्षित कथन के द्वारा उनका अंगीकार करता है।

**प्रथम भारतीय लेखा मानकों की रिपोर्टिंग अवधि प्रथम बार अंगीकर्ता**

प्रतिष्ठान के प्रथम **भारतीय लेखा मानक, वित्तीय विवरणों** में सम्मिलित की गई अद्यतन रिपोर्टिंग अवधि। प्रतिष्ठान जो अपने **प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण** प्रस्तुत करता है।

**भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस)**

भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) वे लेखा मानक हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निरूपित हैं।

**प्रारंभिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र**

**भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान का तुलन-पत्र।**

**पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी)**

लेखा का वह आधार जो **प्रथमबार अंगीकर्ता** भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करने के तुरंत पहले भारत में सांविधिक रिपोर्टिंग अपेक्षा के लिए प्रयुक्त करता है। उदाहरणस्वरूप, जिन कंपनियों को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार

करना आवश्यक होता है, वे उन वित्तीय विवरणों को पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के वित्तीय विवरणों के रूप में समझेंगे।

## परिशिष्ट ख

### अन्य भारतीय लेखा मानकों के पूर्वव्यापी प्रयोग के लिए अपवाद

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

ख 1. प्रतिष्ठान निम्नलिखित अपवादों का प्रयोग करेगा:

- (क) वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों की अमान्यता (अनुच्छेद ख 2 तथा ख 3),
- (ख) प्रतिरक्षा लेखा (अनुच्छेद ख4-ख6),
- (ग) गैर-नियंत्रक हित (अनुच्छेद ख7),
- (ङ.) वित्तीय आस्तियों की क्षतिग्रस्तता (अनुच्छेद ख8 घ-ख8 छ),
- (च) सन्निहित व्युत्पन्न (अनुच्छेद ख 9), तथा
- (छ) सरकारी ऋण (अनुच्छेद ख10-ख12)

### वित्तीय आस्तियों एवं वित्तीय दायित्वों की अमान्यता

ख2. अनुच्छेद ख 3 द्वारा जैसी अनुमति दी गई है, उसे छोड़कर प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की संक्रमण की तिथि को या उसके बाद होने वाले लेन-देनों के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में अमान्यता की अपेक्षाओं का भावी प्रभाव से प्रयोग करेगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने लेन-देन के परिणामस्वरूप जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुआ था, अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार गैर-व्युत्पन्न वित्तीय आस्तियों अथवा गैर-व्युत्पन्न वित्तीय दायित्वों को अमान्य कर दिया है तो वह उन आस्तियों तथा दायित्वों को भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तब तक मान्यता नहीं देगा (जब तक वे बाद के लेन-देन या घटना के परिणामस्वरूप मान्यता के लिए योग्य नहीं होते हैं)।

ख3. अनुच्छेद ख2 के बावजूद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 में अमान्यता अपेक्षाओं का प्रयोग प्रतिष्ठान के चयन की तिथि से पूर्वव्यापी प्रभाव से कर सकता है बशर्ते पूर्व लेन-देनों के परिणामस्वरूप अमान्य वित्तीय आस्तियों और वित्तीय दायित्वों पर भारतीय लेखा मानक 109 का प्रयोग करने के लिए अपेक्षित सूचना उन लेन-देनों के लिए प्रारम्भिक लेखे के समय प्राप्त की गई थी।

## प्रतिरक्षा लेखा

ख4. जैसाकि, भारतीय लेखा मानक 109 में अपेक्षित है, भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को प्रतिष्ठान निम्नलिखित करेगा:

(क) सभी व्युत्पन्नों का उचित मूल्य पर माप करेगा; तथा

(ख) व्युत्पन्नों पर उत्पन्न होने वाली सभी आस्थगित हानियों तथा लाभों को समाप्त कर देगा जिन्हें (व्युत्पन्नों को) पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार रिपोर्ट किया गया था, मानो कि वे आस्तियों या दायित्वों के रूप में रिपोर्ट किया गया था।

ख5. प्रतिष्ठान अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में उस प्रकार के प्रतिरक्षात्मक संबंध को प्रतिबिम्बित नहीं करेगा जो भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार प्रतिरक्षा लेखे के योग्य नहीं है (उदाहरण के लिए, उनके प्रतिरक्षा संबंधों में, जहाँ प्रतिरक्षा लिखत स्वतंत्र लिखित विकल्प या निवल लिखित विकल्प है, या जहाँ प्रतिरक्षा मद विदेशी मुद्रा जोखिम की तुलना में दूसरे जोखिम के लिए नकदी प्रवाह प्रतिरक्षा में निवल स्थिति होती है। तथापि, यदि प्रतिष्ठान ने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रतिरक्षित मद के रूप में निवल स्थिति को पदनामित किया है, तो यह भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उस निवल स्थिति के अंतर्गत एक विशिष्ट मद को या निवल स्थिति को प्रतिरक्षित मद के रूप में पदनामित कर सकता है यदि वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 6.6.1 में दी गई अपेक्षाओं को पूरा करता है बशर्ते यह ऐसा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से बाद न हो।

ख6. यदि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले प्रतिष्ठान ने लेन-देन को प्रतिरक्षा के रूप में पदनामित किया था किन्तु वह भारतीय लेखा मानक 109 में प्रतिरक्षा लेखा की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो प्रतिष्ठान प्रतिरक्षा लेखा को बन्द करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों 6.5.6 तथा 6.5.7 का प्रयोग करेगा। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निविष्ट किए गए लेन देनों को प्रतिरक्षाओं के रूप में पूर्वव्यापी प्रभाव से पदनामित नहीं किया जाएगा।

## गैर-नियंत्रक हित

ख 7. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से भारतीय लेखा मानक 110 की निम्नलिखित अपेक्षाओं को भावी प्रभाव से लागू करेगा:



- (क) अनुच्छेद ख 94 की अपेक्षा जिससे कि कुल व्यापक आय का आरोपण मूल प्रतिष्ठानों के स्वामियों तथा गैर-नियंत्रक हितों के प्रति किया जाता है चाहे इसका परिणाम गैर-नियंत्रक हितों के पास घाटे का अतिशेष हो;
- (ख) अनुषंगी प्रतिष्ठान में मूल प्रतिष्ठान के स्वामित्व हित में उन परिवर्तनों के लेखा के लिए अनुच्छेद 23 तथा ख 96 की अपेक्षाएँ, जिनके परिणाम नियंत्रण में समाप्ति नहीं होता; तथा
- (ग) अनुच्छेद ख 97-ख 99 में अनुषंगी प्रतिष्ठान पर नियंत्रण की समाप्ति के लेखा के लिए अपेक्षाएँ तथा भारतीय लेखा मानक 105, 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ एवं बन्द परिचालन' के अनुच्छेद 8क की संबंधित अपेक्षाएँ।

तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यवसायिक संयोजनों में पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग करने का चयन करता है तो यह इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद ग 1 के अनुसार भारतीय लेखा मानक 110 का भी प्रयोग करेगा।

### वित्तीय आस्तियों का वर्गीकरण एवं माप

ख8. प्रतिष्ठान उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान रहती है; यह निर्धारित करेगा कि वित्तीय आस्ति भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.2 में दी गई शर्तों या अनुच्छेद 4.1.2 क में दी गई शर्तों को पूरा करती है या नहीं।

ख8 क. यदि उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान रहती है, भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 4.1.9ख-ख 4.1.9घ के अनुसार संशोधित मुद्रा के समय मूल्य तत्व का निर्धारण करना अव्यावहारिक है तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण करेगा, जिसमें वह भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.9ख-4.1.9घ में मुद्रा के समय मूल्य तत्व के संशोधन से संबंधित अपेक्षाओं पर विचार नहीं करेगा। प्रतिष्ठान वित्तीय आस्तियों की रिपोर्टिंग तिथि को अग्रणित राशि का प्रकटन करेगा जिनके अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर किया गया है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान हो तथा इसके लिए भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 4.1.9ख-ख 4.1.9घ में मुद्रा के समय मूल्य तत्व के संशोधन से

संबंधित अपेक्षाओं पर विचार तब तक नहीं किया गया जब तक वे वित्तीय आस्तियां अमान्य नहीं होती हैं।

ख8 ख.यदि यह निर्धारण करना अव्यावहारिक है कि पूर्वभुगतान विशिष्टता का उचित मूल्य भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12(ग) के अनुसार उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान रहती है, अमहत्वपूर्ण है या नहीं, तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12 में दिए गए पूर्व भुगतान विशिष्टताओं के अपवाद पर विचार किए बिना उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थी, उस वित्तीय आस्ति की अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताओं का निर्धारण करेगा। प्रतिष्ठान उन वित्तीय आस्तियों की रिपोर्टिंग तिथि पर अग्रणीत राशि का प्रकटन करेगा जिनकी अनुबंधात्मक नकदी प्रवाह विशेषताएँ भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 4.1.12 में दिए पूर्वभुगतान विशिष्टताओं के अपवाद पर तब तक विचार किए बिना उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित की गई है, जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थी, जब तक वे वित्तीय आस्तियाँ अमान्य नहीं होती हैं।

ख 8ग यदि प्रतिष्ठान के लिए भारतीय लेखा मानक 109 में दिए गए प्रभावी ब्याज प्रणाली का पूर्व व्यापी प्रभाव से प्रयोग करना अव्यवहारिक है जैसाकि (भारतीय लेखा मानक 8 में परिभाषित है) तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर वित्तीय आस्ति या वित्तीय दायित्व का उचित मूल्य भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उस वित्तीय आस्ति की नई सकल अग्रणीत राशि होगी या उस वित्तीय दायित्व की नई परिशोधित लागत होगी।

### **वित्तीय आस्तियों की क्षतिग्रस्तता**

ख 8घ प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के खंड 5.5 की क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का प्रयोग इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेदों ख 8ड., ख 8च तथा ख 8छ के अधीन पूर्वव्यापी प्रभाव से करेगा।

ख 8ड भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान युक्तियुक्त तथा सहायक सूचना का प्रयोग करेगा जो उस तिथि पर अनुचित लागत या प्रयास के बिना ऋण जोखिम का निश्चय करने के लिए उपलब्ध है जिस तिथि पर उन वित्तीय लिखतों को प्रारम्भ में मान्यता दी गई थी (या ऋण वचनबद्धताएँ और वित्तीय गारंटी अनुबंधों के लिए

वह तिथि जिस पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.6 के अनुसार अविकल्पी वचनबद्धता का एक पक्ष बनता है) तथा उसकी तुलना भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ऋण जोखिम से करेगा (इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद ख8डक-ख 8डख भी देखें)।

ख8डक प्रतिष्ठान को अनुचित लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध सभी युक्तियुक्त एवं सहायक सूचना पर विचार करके प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम का अनुमान लगाने का प्रयास करना चाहिए। प्रतिष्ठान के लिए भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निर्धारण के समय इस सूचना के लिए कि प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धियां होती रही हैं या नहीं, सर्वांगीण खोज करना आवश्यक नहीं है। यदि प्रतिष्ठान अनुचित लागत या प्रयास के बिना यह निश्चय करने में समर्थ नहीं है तो इस भारतीय लेखा मानक का अनुच्छेद ख 8 छ लागू होता है।

ख8डख प्रारम्भिक प्रयोग की तिथि के पूर्व प्रारम्भिक रूप से मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों पर संक्रमण काल पर तथा उन मदों की अमान्यता तक, हानि भत्ते का निश्चय करने के लिए प्रतिष्ठान उस सूचना पर विचार करेगा जो प्रारम्भिक मान्यता पर ऋण जोखिम का निश्चय करने अथवा अनुमान लगाने के लिए प्रासंगिक है। प्रारम्भिक ऋण जोखिम के निर्धारण करने अथवा अनुमान लगाने के लिए प्रतिष्ठान पोर्टफोलियों सूचना सहित भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेदों ख 5.5.1-ख 5.5.6 के अनुसार आन्तरिक एवं बाह्य सूचना पर विचार कर सकता है।

ख 8च यह निश्चय करते समय कि ऋण जोखिम में प्रारम्भिक मान्यता के समय से ही महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है या नहीं प्रतिष्ठान निम्नलिखित का प्रयोग कर सकता है:

- (क) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.5.10 तथा ख 5.5.22-ख 5.5.24 की अपेक्षाएँ; तथा
- (ख) यदि प्रतिष्ठान पिछली देय सूचना के आधार पर उन वित्तीय लिखतों के लिए प्रारम्भिक मान्यता से हुई ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धियों की पहचान कर क्षतिग्रस्तता अपेक्षाओं का प्रयोग करेगा तो अनुबंधात्मक भुगतानों, के लिए, जो पिछले 30 दिनों से अधिक से देय हैं, भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 5.5.11 में खंडन योग्य पूर्व अवधारणा।

ख 8छ यदि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर यह निश्चय करने के लिए कि वित्तीय लिखत की प्रारम्भिक मान्यता से ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है अनुचित लागत या प्रयास अपेक्षित होते हैं, तो प्रतिष्ठान प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर तब तक

आजीवन प्रत्याशित ऋण हानियों की राशि के बराबर हानि भत्ते को मान्यता देगा जब तक वह वित्तीय लिखत अमान्य नहीं होती है (यदि वह वित्तीय लिखत रिपोर्टिंग तिथि पर निम्नतम ऋण जोखिम पर होती है तो उस स्थिति में अनुच्छेद ख 8च(क) लागू होता है)।

### सन्निहित व्युत्पन्न

- ख 9. प्रथमबार अंगीकर्ता उन शर्तों के आधार पर यह निर्धारण करेगा कि सन्निहित व्युत्पन्न का मूल (होस्ट) अनुबंध से पृथक किया जाना या व्युत्पन्न के रूप में लेखा करना आवश्यक है या नहीं, जो इन दो तिथियों में से बाद वाली तिथि पर विद्यमान होती है: पहली बार इसके अनुबंध की पार्टी होने की तिथि तथा वह तिथि जिस पर पुननिर्धारण किया जाना भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद ख 4.3.11 द्वारा अपेक्षित होता है।

### सरकारी ऋण

- ख 10. प्रथमबार अंगीकर्ता सरकारी ऋण का भारतीय लेखा मानक 32, *वित्तीय लिखतें: प्रस्तुतिकरण*, के अनुसार वित्तीय दायित्व या इक्विटी लिखत के रूप में वर्गीकरण करेगा। सिवाय अनुच्छेद ख 11 द्वारा दी गई अनुमति के, प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान सरकारी ऋणों पर भावी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 109, *वित्तीय लिखतें*, तथा भारतीय लेखा मानक 20, *सरकारी अनुदानों का लेखा एवं सरकारी सहायता का प्रकटन*, की अपेक्षाओं को लागू करेगा तथा बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण के तदनुरूपी लाभ को सरकारी अनुदान के रूप में मान्यता नहीं देगा। परिणामतः यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ने अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अधीन भारतीय लेखा मानक की अपेक्षाओं से संगत आधार पर बाजार से कम ब्याज दर पर सरकारी ऋण को मान्य तथा माप नहीं किया है, तो यह अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार ऋण की अग्रणीत राशि का प्रयोग भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में ऋण की अग्रणीत राशि के रूप में करेगा। प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बाद ऐसे ऋणों का माप करने के लिए भारतीय लेखा मानक 109 का प्रयोग करेगा।
- ख 11. अनुच्छेद ख 10 के बावजूद, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले उत्पन्न किसी सरकारी ऋण पर भारतीय लेखा मानक 109 तथा भारतीय लेखा मानक 20 में दी गई अपेक्षाओं का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग कर सकता है, बशर्ते ऐसा करने के लिए आवश्यक सूचना उस ऋण के लिए प्रारम्भ में लेखा के समय प्राप्त कर ली गई थी।

ख 12. अनुच्छेद ख 10 एवं ख 11 में अपेक्षाएं एवं मार्ग-निर्देश प्रतिष्ठान को पूर्ववर्ती रूप से लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मान्य वित्तीय लिखतों के पदानामांकन से संबंधित अनुच्छेदों घ19-घ 19ग में वर्णित अपवादों का प्रयोग करने के लिए सक्षम होने से नहीं रोकते ।

## परिशिष्ट ग

### व्यवसायिक संयोजनों के लिए छूट

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का एक अभिन्न अंग है। एक प्रतिष्ठान निम्नलिखित अपेक्षाओं का प्रयोग उन व्यवसायिक संयोजनों के प्रति करेगा, जिन्हें उसने भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पूर्व मान्यता दी थी। इस परिशिष्ट का प्रयोग, भारतीय लेखा मानक 103 व्यवसायिक संयोजन, के कार्य क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले व्यवसायिक संयोजनों पर ही करेगा।

- ग 1 प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यवसायिक संयोजनों के लिए भारतीय लेखा मानक 103 का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग नहीं करने के लिए चयन कर सकता है (वे व्यवसायिक संयोजन जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से पूर्व हुए हों)। तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 103 का अनुपालन करने के लिए किसी व्यावसायिक संयोजन का पुनर्कथन करता है तो यह बाद के सभी व्यवसायिक संयोजनों को पुनर्कथित करेगा तथा उस तिथि से भारतीय लेखा मानक 110 का प्रयोग भी करेगा। उदाहरण के लिए, यदि प्रथम बार अंगीकर्ता उस व्यावसायिक संयोजन के पुनर्कथन के लिए चयन करता है जो 30 जून, 2010 को हुआ है, तो यह उन सभी व्यवसायिक संयोजनों का पुनर्कथन करेगा जो 30 जून, 2010 और भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बीच हुए थे तथा यह 30 जून, 2010 से भारतीय लेखा मानक 110 का प्रयोग भी करेगा।
- ग 2 प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानक 21, 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तनों के प्रभाव' का प्रयोग उन व्यवसायिक संयोजनों में उत्पन्न उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से करने की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे। यदि प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 21 का प्रयोग उन उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से नहीं करता है तो यह उन्हें प्रतिष्ठान की आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में मानेगा बजाय अधिगृहणिति की आस्तियों तथा दायित्वों के रूप में जाएगी। इसलिए, ये ख्याति तथा उचित मूल्य समायोजन या तो प्रतिष्ठान का कार्यात्मक मुद्रा में पहले से ही अभिव्यक्त हैं या गैर-मौद्रिक विदेशी मुद्रा मर्दें हैं जो पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रयुक्त विनिमय दर का प्रयोग करते हुए रिपोर्ट की गई हैं।
- ग3. प्रतिष्ठान निम्नलिखित दोनों में से किसी एक में उत्पन्न उचित मूल्य समायोजनों तथा ख्याति के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 21 का प्रयोग कर सकते हैं:
- (क) उन सभी व्यवसायिक संयोजनों में, जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे, अथवा

(ख) उन सभी व्यवसायिक संयोजनों में, जिन्हें प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 103 का अनुपालन करने के लिए पुनर्कथित करने का चयन करता है, जैसाकि ऊपर अनुच्छेद ग1 द्वारा अनुमति दी गई है।

ग 4. यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पिछले व्यावसायिक संयोजन के लिए पूर्वव्यापी प्रभाव से भारतीय लेखा मानक 103 का प्रयोग नहीं करता है तो उस व्यवसायिक संयोजन के लिए निम्नलिखित परिणाम होंगे :

(क) प्रथमबार अंगीकर्ता उसी वर्गीकरण को रखेगा (कानूनी अधिग्रहणकर्ता द्वारा अधिग्रहण के रूप में, कानूनी अधिगृहणिति द्वारा विपरीत अधिग्रहण के रूप में अथवा हितों के एकीकरण के रूप में) जैसाकि इसके पूर्व 'जी ए ए पी' के वित्तीय विवरणों में है।

(ख) प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर अपनी सभी आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा जो निम्नलिखित के बजाय पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत किये गए थे या धारण किए गए थे:

- (i) पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अमान्य कुछ वित्तीय आस्तियाँ तथा वित्तीय दायित्व (देखें अनुच्छेद ख 2); तथा
- (ii) खयाति सहित आस्तियाँ तथा दायित्व जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अधिग्रहणकर्ता के समेकित तुलन पत्र में मान्य नहीं किए थे तथा अधिगृहणिति के पृथक तुलन-पत्र में भारतीय लेखा मानकों के अनुसार मान्यता के लिए योग्य भी नहीं थे (देखें नीचे (च)- (झ)।

प्रथमबार अंगीकर्ता प्रतिधारित अर्जन (या, यदि उपयुक्त से, तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी को) के समायोजन द्वारा किसी परिणामी परिवर्तन को तबतक मान्यता देगा जब तक वह परिवर्तन अमूर्त आस्ति की मान्यता का परिणाम नहीं होता है तो पूर्व में खयाति के अंदर सम्मिलित था (देखें नीचे (छ)(i))।

(ग) प्रथम बार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता प्राप्त किसी मद को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र से हटा देगा जो भारतीय लेखा मानकों के अंतर्गत एक आस्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। प्रथमबार अंगीकर्ता परिणामी परिवर्तन के लिए निम्नप्रकार लेखा करेगा:

- (i) प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा पिछले व्यवसायिक संयोजन को अधिग्रहण के रूप में वर्गीकृत किया हो सकता है तथा अमूर्त आस्ति की मद के रूप में मान्य कर सकता है, जो भारतीय लेखा मानक 38, *अमूर्त आस्तियाँ* के अनुसार आस्ति के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। यह उस

मद का (और यदि कोई हो, तो संबंधित आस्थगित कर तथा गैर-नियंत्रक हितों) ख्याति के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकरण करेगा (जब तक कि इसने पूर्व 'जी ए ए पी', देखें छ (i) तथा नीचे (झ) के अनुसार, इक्विटी से ख्याति को प्रत्यक्ष रूप से न घटाया हो) या पूंजी आरक्षिति के रूप में पुनर्वर्गीकृत करेगा उस सीमा तक कि वह पूंजीगत आरक्षित राशि के शेष से अधिक न हो।

(ii) प्रथमबार अंगीकर्ता प्रतिधारित अर्जन में अन्य सभी परिणामी परिवर्तनों को मान्यता देगा।

(घ) भारतीय लेखा मानक उस आधार पर कुछ आस्तियों तथा दायित्वों के परवर्ती माप की अपेक्षा करते हैं जो मूल लागत पर आधारित नहीं होता है, जैसे कि उचित मूल्य। प्रथमबार अंगीकर्ता इन आस्तियों तथा दायित्वों को उस आधार पर अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मापेगा, भले ही उन्हें पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत किया गया था अथवा ग्रहण किया गया था। यह ख्याति / पूंजीगत पूंजी आरक्षिति के बजाय प्रतिधारित अर्जनों (अथवा, यदि उपयुक्त हो तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी) को समायोजित करके अग्रणीत राशि में किसी परिणामी परिवर्तन को मान्यता देगा।

(ड.) व्यावसायिक संयोजन के तत्काल बाद उस व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत आस्तियों तथा ग्रहण किए गए दायित्वों की पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि भारतीय लेखा मानकों के अनुसार उस तारीख को उनकी मानी गयी लागत होगी। यदि भारतीय लेखा मानक बाद की तारीख में उन आस्तियों तथा दायित्वों के लागत आधारित माप की अपेक्षा करते हैं तो वह मानी गयी लागत व्यवसायिक संयोजन की तारीख से उस लागत आधारित मूल्यह्रास या परिशोधन का आधार होगा।

(च) यदि पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत आस्ति या ग्रहण किए गए दायित्व को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता नहीं दी गई थी, तो इसकी प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मानी गई लागत शून्य नहीं होती हैं। इसके बजाय, अधिग्रहणकर्ता इसे अपने समेकित तुलन-पत्र में उस आधार पर मान्यता देगा तथा माप करेगा जिस आधार पर अधिग्रहणित के तुलन-पत्र में भारतीय

<sup>1</sup> ऐसे परिवर्तनों में अमूर्त आस्तियों से या उनमें पुनर्वर्गीकरण सम्मिलित होते हैं, यदि पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति को आस्ति के रूप में मान्य नहीं किया गया है। यह उत्पन्न होता है, जब प्रतिष्ठान ने पूर्व जी ए ए पी के अनुसार (क) इक्विटी से ख्याति को प्रत्यक्ष रूप से घटाया है या (ख) व्यवसायिक संयोजन को अधिग्रहण के रूप में नहीं माना है या (ग) अधिग्रहण के रूप में लेखांकित व्यवसायिक संयोजन में पूंजी आरक्षिति को मान्यता दी है तथा उपर्युक्त (i) में पुनर्वर्गीकरण की राशि आरक्षित राशि के उपलब्ध अतिशेष से अधिक हो।



लेखा मानकों द्वारा अपेक्षित था। दृष्टान्त के लिए, यदि अधिग्रहणकर्ता ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत वित्त पट्टों को पूंजीकृत नहीं किया था, तो यह उन पट्टों को अपने समेकित वित्तीय विवरणों में पूंजीकृत करेगा क्योंकि अधिगृहणिति को भारतीय लेखा मानक 17, 'पट्टें' द्वारा अपने भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में पूंजीकृत करने की आवश्यकता होगी। इसी तरह से, यदि अधिग्रहणकर्ता ने अपने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार आकस्मिक दायित्व को मान्यता नहीं दी थी, जो अभी भी भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान है, तो अधिग्रहणकर्ता उस आकस्मिक दायित्व को तब तक मान्यता देगा जब तक भारतीय लेखा मानक 37, 'प्रावधान, आकस्मिक दायित्व तथा आकस्मिक आस्तियाँ' अधिगृहणिति के वित्तीय विवरणों में इसकी मान्यता का निषेध नहीं करेगा। इसके विपरीत, यदि एक आस्ति या दायित्व को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति/पूंजीगत आरक्षिति में सम्मिलित किया गया था, किन्तु भारतीय लेखा मानक 103 के अंतर्गत पृथक रूप से मान्यता दी जाती है, तो वह आस्ति या दायित्व तब तक पूंजीगत ख्याति/पूंजीगत आरक्षिति में बना रहता है, जब तक भारतीय लेखा मानकों द्वारा अधिगृहणिति के वित्तीय विवरणों में इसकी मान्यता की अपेक्षा न हो।

(छ) प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में ख्याति या पूंजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निम्नलिखित दो समायोजनों के बाद पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार इसकी अग्रणीत राशि होगी:

(i) यदि उपर्युक्त (ग) (i) द्वारा अपेक्षित है तो प्रथमबार अंगीकर्ता तब ख्याति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करेगा या पूंजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि में कमी करेगा, जब यह एक मद का पुनर्वर्गीकरण करता है जिसे इसने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अमूर्त आस्ति के रूप में मान्यता दी है। इसी तरह से, यदि उपर्युक्त (च) प्रथम बार अंगीकर्ता से एक उस अमूर्त आस्ति को मान्यता देने की अपेक्षा करता है, जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्यता प्राप्त ख्याति या पूंजीगत आरक्षिति में सम्मिलित हैं, प्रथम बार अंगीकर्ता तदनुसार ख्याति की अग्रणीत राशि में कमी और पूंजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि में वृद्धि करेगा (और, यदि लागू होगा, तो आस्थगित कर तथा गैर-नियंत्रक हितों को समायोजित करेगा)।

(ii) इस बात से अनपेक्ष रहते हुए कि ऐसा कोई संकेत है या नहीं है कि ख्याति क्षतिग्रस्त हो सकती है, अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर क्षतिग्रस्तता के लिए ख्याति का परीक्षण करने में तथा प्रतिधारित अर्जन (अथवा, पुनर्मूल्यन अधिशेष में यदि भारतीय लेखा मानक 36 द्वारा ऐसा अपेक्षित हो) में किसी परिणामी क्षतिग्रस्तता हानि को

मान्यता देने में भारतीय लेखा मानक 36 का प्रयोग करेगा । क्षतिग्रस्तता परीक्षण भारतीय लेखा मानकों की संक्रमण की तिथि की परिस्थितियों पर आधारित होगा ।

- (ज) भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ख्याति या पूंजीगत आरक्षिति की अग्रणीत राशि के लिए कोई अन्य समायोजन नहीं किए जाएँगे। उदाहरण के लिए प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नलिखित के लिए ख्याति/पूंजी आरक्षिति की अग्रणीत राशि का पुनर्कथन नहीं करेगा :
- (i) उस व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत प्रक्रियाधीन अनुसंधान और विकास को तब तक अलग करना (जब तक संबंधित अमूर्त आस्ति अधिगृहणिति के तुलन-पत्र में भारतीय लेखा मानक 38 के अनुसार मान्यता के लिए योग्य नहीं होगी);
  - (ii) ख्याति के पूर्व परिशोधन का समायोजन करना;
  - (iii) उस ख्याति के समायोजनों को उलटना जिसके लिए भारतीय लेखा मानक 103 अनुमति नहीं देगा किन्तु वे व्यावसायिक संयोजन की तारीख तथा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बीच आस्तियों एवं दायित्वों के समायोजनों के कारण पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार किए गए थे।
- (झ) यदि प्रथमबार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार ख्याति को इक्विटी से कटौती के रूप में मान्यता देता है तो:
- (i) यह उस ख्याति को अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मान्यता नहीं देगा। इसके अतिरिक्त, यह उस ख्याति का पुनर्वर्गीकरण लाभ या हानि में नहीं करेगा यदि यह अनुषंगी प्रतिष्ठान का निपटारा कर देता है या यदि अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश क्षतिग्रस्त हो जाता है।
  - (ii) खरीद प्रतिफल को प्रभावित करने वाली आकस्मिकता के उत्तरवर्ती समाधान के परिणामस्वरूप हुए समायोजनों को प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाएगी।
- (ञ) अपने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा पिछले व्यवसायिक संयोजन में अधिगृहीत अनुषंगी प्रतिष्ठान को समेकित नहीं भी करा हो सकता है (उदाहरण के लिए, क्योंकि मूल प्रतिष्ठान पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार इसे अनुषंगी प्रतिष्ठान के रूप में नहीं मानता है या समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार नहीं करता है)। प्रथमबार अंगीकर्ता अनुषंगी प्रतिष्ठान की आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशि का समायोजन उन राशियों से करेगा जो भारतीय

लेखा मानकों द्वारा अनुषंगी प्रतिष्ठान तुलन-पत्र में अपेक्षित होगी। ख्याति की मानी गयी लागत भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख पर निम्नलिखित के बीच के अन्तर को बराबर करती है:

- (i) उन समायोजित अग्रणीत राशियों में मूल प्रतिष्ठान का हित; तथा
- (ii) मूल प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में इसके अनुषंगी प्रतिष्ठान में निवेश की लागत।

(ट) गैर-नियंत्रक हितों तथा अस्थगित कर का माप अन्य आस्तियों एवं दायित्वों के माप का अनुसरण करता है। इसलिए, मान्यता प्राप्त आस्तियों एवं दायित्वों के लिए किए गए उपर्युक्त समायोजन गैर-नियंत्रक हितों तथा अस्थगित कर को प्रभावित करते हैं।

ग5. पिछले व्यवसायिक संयोजनों के लिए छूट सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेशों, संयुक्त उद्यमों में हितों तथा संयुक्त परिचालनों में हितों के पिछले अधिग्रहणों के लिए भी लागू होता है जिसमें संयुक्त परिचालन की गतिविधि एक व्यवसाय होती है जैसाकि भारतीय लेखा मानक 103 में परिभाषित है। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद ग 1 के लिए चुनी गई तिथि ऐसे सभी अधिग्रहणों पर समान रूप से लागू होती है।

## परिशिष्ट घ

### अन्य भारतीय लेखा मानकों से छूट

यह परिशिष्ट इस भारतीय लेखा मानक का अभिन्न अंग है।

घ 1 प्रतिष्ठान निम्नलिखित छूटों में से एक या अधिक का प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है :

- (क) शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देन (अनुच्छेद घ2 तथा घ3),
- (ख) बीमा अनुबंध (अनुच्छेद घ4),
- (ग) मानी गयी लागत (अनुच्छेदों घ5 तथा घ8घ),
- (घ) पट्टे (अनुच्छेद घ9 एवं घ9कक),
- (ङ.) [देखें परिशिष्ट 1]
- (च) संचयी रूपान्तरण अन्तर (अनुच्छेद घ12 एवं घ13),
- (छ) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश (अनुच्छेद घ14 एवं घ15),
- (ज) अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों की आस्तियां तथा दायित्व (अनुच्छेद घ16 तथा घ17),
- (झ) मिश्रित वित्तीय लिखतें (अनुच्छेद घ18),
- (ञ) पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों का पदनामांकन (अनुच्छेद घ19-घ19ग),
- (ट) प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों या वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य पर माप (अनुच्छेद घ20),
- (ठ) संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में सम्मिलित विस्थापन दायित्व (अनुच्छेद घ21 एवं घ21क),
- (ड.) भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट 'ग', सेवा रियायत व्यवस्थाएं के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ (अनुच्छेद घ22),
- (ढ) उधार की लागतें (अनुच्छेद घ23),
- (ण) [देखें परिशिष्ट 1],

- (त) 'इक्विटी' लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों का समापन (अनुच्छेद घ 25),
- (थ) अति उच्च मुद्रास्फीति (अनुच्छेद घ 26-घ30),
- (द) संयुक्त व्यवस्थाएँ (अनुच्छेद घ31-घ31क ठ),
- (घ) सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागत (अनुच्छेद घ32),
- (न) गैर-वित्तीय मद खरीदनें या बेचने के लिए अनुबंधों का पदनामांकन (अनुच्छेद घ33),
- (प) ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व (अनुच्छेद घ34-घ35), तथा
- (फ) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ तथा बन्द परिचालन (अनुच्छेद घ35कक)।

प्रतिष्ठान अन्य मदों के अनुरूप में इन अपवादों का प्रयोग नहीं करेगा।

### शेयर-आधारित भुगतान के लेन-देन

- घ2. प्रथमबार अंगीकर्ता को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निहित इक्विटी लिखतों पर भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है किन्तु यह आवश्यक नहीं होता है। तथापि, यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ऐसे इक्विटी लिखतों के लिए भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए चयन करता है तो यह ऐसा तभी कर सकता है, यदि प्रतिष्ठान ने भारतीय लेखा मानक 102 में यथा परिभाषित माप की तारीख पर निश्चय किये गए उन लिखतों के उचित मूल्य को सार्वजनिक रूप से प्रकट किया है। इक्विटी लिखतों के सभी अनुदानों के लिए, जिसके लिए भारतीय लेखा मानक 102 को प्रयुक्त नहीं किया गया है (उदाहरण के लिए, इक्विटी लिखतें निहित हैं लेकिन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निपटाए नहीं गए हैं), प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 102 के अनुच्छेद 44 एवं 45 द्वारा अपेक्षित सूचना को प्रकट करेगा। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता इक्विटी लिखतों के अनुदान की शर्तों या निबंधनों को संशोधित करता है जिन पर भारतीय लेखा मानक 102 प्रयुक्त नहीं हुआ है तो प्रतिष्ठान द्वारा भारतीय लेखा मानक 102 के अनुच्छेद 26-29 का प्रयोग करना तब अपेक्षित नहीं होता है यदि संशोधन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले किए गए हैं।
- घ3. प्रथमबार अंगीकर्ता को शेयर-आधारित भुगतान लेन-देनों से उत्पन्न उन दायित्वों के लिए जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले निपटाए गए थे भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है।

## बीमा अनुबंध

- घ4. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या इसके बाद प्रारम्भ होने वाली वार्षिक अवधियों के लिए भारतीय लेखा मानक 104 बीमा अनुबंध का प्रयोग करेगा। शीघ्र प्रयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। यदि प्रतिष्ठान इस भारतीय लेखा मानक 102 का प्रयोग किसी पहले की अवधि के लिए करता है तो यह उस तथ्य को प्रकट करेगा।

भारतीय लेखा मानक 104 का अनुच्छेद 39(ग)(iii)का प्रयोग करने में प्रतिष्ठान को उन दावों की प्रगति के बारे में सूचना प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है जो उस प्रथम वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले के पाँच वर्षों से पूर्व किए गए थे जिसमें यह भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है। इसके अतिरिक्त, जब प्रतिष्ठान प्रथमबार भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है, तब यदि उन दावों की प्रगति के बारे में सूचना तैयार करना अव्यवहार्य है जो सबसे प्रारम्भिक अवधि के शुरू होने के पहले घटित हुए थे जिसके लिए प्रतिष्ठान पूरी तुलनात्मक सूचना प्रस्तुत करता है जो इस भारतीय लेखा मानक के अनुपालन में होती है, तो प्रतिष्ठान उस तथ्य को प्रकट करेगा।

जब एक बीमाकर्ता बीमा दायित्वों के लिए अपनी लेखा नीतियों में परिवर्तन करता है, तो यह अनुमति दी जाती है, लेकिन आवश्यक नहीं होता है कि वह अपनी सभी या कुछ वित्तीय आस्तियों का 'लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर' पुनर्वर्गीकरण करे। इस पुनर्वर्गीकरण की अनुमति तब होती है यदि बीमाकर्ता लेखा नीतियों में परिवर्तन करता है जब यह पहली बार भारतीय लेखा मानक 104 का प्रयोग करता है और यदि यह अनुच्छेद 22 द्वारा अनुमत परवर्ती नीति परिवर्तन करता है। पुनर्वर्गीकरण लेखा नीति में परिवर्तन है तथा भारतीय लेखा मानक 8 लागू होता है।

## मानी गयी लागत

- घ5. प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसके उचित मूल्य पर मापने के लिए चयन करता है और उस तारीख को मानी गयी लागत के रूप में उचित मूल्य का प्रयोग करता है।
- घ6. प्रथमबार अंगीकर्ता संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की एक मद के पूर्ववर्ती सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्त (जी ए ए पी) का पुनर्मूल्यांकन को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या पहले पुनर्मूल्यांकन तारीख पर मानी गई लागत के रूप में प्रयोग करने का चयन कर सकता है यदि वह पुनर्मूल्यांकन निम्नलिखित से मोटे तौर पर पुनर्मूल्यांकन की तारीख को तुलनीय था:

- (क) उचित मूल्य, या
- (ख) भारतीय लेखा मानकों के अनुसार लागत अथवा मूल्यह्रासित लागत जिसे प्रतिबिम्बित करने के लिए समायोजित किया गया है, उदाहरण के लिए, सामान्य या विशिष्ट कीमत सूची में हुए परिवर्तनों।

घ7 अनुच्छेद घ 5 एवं घ 6 में किए गए चयन निम्नलिखित के लिए भी उपलब्ध (प्राप्य) हैं:

- (क) भारतीय लेखा मानक 40, 'निवेश संपत्ति' में लागत में मॉडल अनुसार लेखांकित की गयी निवेश संपत्ति; तथा
- (ख) अमूर्त आस्ति जो निम्नलिखित को पूरा करती है:
  - (i) भारतीय लेखा मानक 38 में मान्यता मानदण्ड (मूल लागत का विश्वसनीय माप सहित);
  - (ii) भारतीय लेखा मानक 38 में पुनर्मूल्यांकन के लिए मानदण्ड (सक्रिय बाजार की मौजूदगी सहित)

प्रतिष्ठान इन चयन का प्रयोग अन्य आस्तियों या दायित्वों के लिए नहीं करेगा।

घ7ककजहाँ भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसकी कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तन नहीं होता है, वहाँ भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकर्ता इसकी सभी संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर के लिए अग्रणीत मूल्य के साथ जारी रखने के लिए चयन कर सकता है जिन्हें पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार माप कर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दी गई है तथा उसका प्रयोग इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद घ 21 तथा घ 21क के अनुसार आवश्यक समायोजनों को करने के बाद संक्रमण की तारीख को इसकी मानी गयी लागत के रूप में करेगा। इस उद्देश्य के लिए, यदि वित्तीय विवरण समेकित वित्तीय विवरण होते हैं, तो अनुषंगी प्रतिष्ठान की पूर्व 'जी ए ए पी' की राशि वह राशि होगी जो समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा प्रस्तुत करने में प्रयुक्त होगी। जहाँ पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत अनुषंगी प्रतिष्ठान समेकित नहीं किया गया था, वहाँ अनुषंगी प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में इसके द्वारा पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार रिपोर्ट की जाने वाली अपेक्षित राशि पूर्व 'जी ए ए पी' की राशि होगी। यदि प्रतिष्ठान इस अनुच्छेद के अंतर्गत विकल्प का प्रयोग करता है तो प्रारम्भिक तुलन-पत्र में इस प्रकार निश्चित की गई संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की मानी गई लागत के लिए और आगे ऐसे कोई समायोजन संक्रमण काल समायोजनों के लिए नहीं किए जाएंगे जो अन्य भारतीय लेखा मानकों के प्रयोग से उत्पन्न हो सकते थे। इस विकल्प का प्रयोग भारतीय लेखा मानक 38 अमूर्त आस्तियाँ, में

सम्मिलित अमूर्त आस्तियों भारतीय लेखा मानक 40, *निवेश संपत्ति* में सम्मिलित निवेश संपत्ति के लिए भी किया जा सकता है।

घ8. प्रथमबार अंगीकर्ता अपनी कुछ या सभी आस्तियों एवं दायित्वों के लिए एक घटना के कारण जैसे कि निजीकरण या प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव एक विशिष्ट तारीख पर उनके उचित मूल्य पर माप कर पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार मानी गयी लागत स्थापित कर सकता है।

(क) यदि माप की तारीख भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि या इसके पहले की तिथि है, तो प्रतिष्ठान ऐसे घटना-प्रेरित मापों को भारतीय लेखा मानकों के लिए उस माप की तारीख पर मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करेगा।

(ख) यदि माप की तारीख भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के बाद है किन्तु प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की अवधि के दौरान में है तो घटना प्रेरित उचित मूल्य मापों का प्रयोग तब मानी गयी लागत के रूप में किया जा सकता है जब घटना घटती है। प्रतिष्ठान परिणामी समायोजनों को प्रतिधारित अर्जनों में माप की तारीख को प्रत्यक्ष रूप से मान्यता देगा (या यदि उपयुक्त होगी तो इक्विटी की दूसरी श्रेणी में मान्यता देगा)। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान या तो अनुच्छेद घ5-घ7 में दिए गए मानदंड का प्रयोग करके मानी गयी लागत को स्थापित करेगा या इस भारतीय लेखा मानक में अन्य अपेक्षाओं के अनुसार आस्तियों एवं दायित्वों का माप करेगा।

घ 8क. कुछ 'जी ए ए पी' के अंतर्गत विकास या उत्पादन चरणों में तेल और गैस संपत्तियों के लिए अन्वेषण तथा विकास लागतों का लेखा उन लागत केन्द्रों में किया जाता है जो वृहत भौगोलिक क्षेत्र में सभी संपत्तियों को शामिल करते हैं। प्रथमबार अंगीकर्ता पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत ऐसे लेखा का प्रयोग करके निम्नलिखित आधार पर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर तेल और गैस आस्तियों को मापने के लिए चयन कर सकता है:

(क) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गई राशि पर खोज एवं मूल्यांकन आस्तियाँ, तथा

(ख) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत लागत केन्द्रों के लिए निश्चित की गई राशि पर विकास और उत्पादन चरणों में आस्तियाँ। प्रतिष्ठान इस राशि को यथानुपात लागत केन्द्र के अंतर्निहित आस्तियों के प्रति उस तारीख के रिजर्व परिमाण या रिजर्व राशियों का प्रयोग करके आबंटित करेगा।



प्रतिष्ठान क्रमशः भारतीय लेखा मानक 106, *खनिज संसाधनों की खोज और उनका मूल्यांकन* या भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर क्षतिग्रस्तता के लिए खोज तथा मूल्यांकन आस्तियों तथा विकास तथा उत्पादन चरण की आस्तियों का परीक्षण करेगा और, यदि आवश्यक होगा, तो उपर्युक्त (क) या (ख) के अनुसार निश्चित की गई राशि को कम करेगा। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए तेल एवं गैस आस्तियों में केवल वे आस्तियां शामिल होती हैं जो तेल एवं गैस की खोज, मूल्यांकन, विकास या उत्पादन में प्रयुक्त होती हैं।

घ8ख. कुछ प्रतिष्ठान संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर या अमूर्त आस्तियों की उन मदों को धारण करते हैं जो दर विनियमन के अधीन परिचालनों में प्रयुक्त होती हैं, या पूर्व में प्रयुक्त होती थी। ऐसी मदों की अग्रणीत राशि में वे राशियाँ शामिल हो सकती हैं जो पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गई थीं किन्तु भारतीय लेखा मानकों के अनुसार पूंजीकरण के लिए योग्य नहीं होती हैं। यदि ऐसी स्थिति होती है, तो प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर ऐसी मद की पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार अग्रणीत राशि को मानी गयी लागत के रूप में प्रयोग करने के लिए चयन कर सकता है। यदि प्रतिष्ठान इस छूट को एक मद के लिए प्रयोग करता है तो इसे यह सभी मदों पर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार उस प्रत्येक मद का क्षतिग्रस्तता के लिए परीक्षण करेगा जिसके लिए इस छूट का प्रयोग किया गया है। इस अनुच्छेद के उद्देश्यों के लिए, परिचालन दर विनियमन के अधीन होते हैं यदि वे उन कीमतों को स्थापित करने के लिए एक ढाँचे द्वारा शासित होते हैं जो वस्तुओं तथा सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्रभारित (चार्ज) किए जा सकते हैं तथा वह ढाँचा दर नियामक द्वारा निरीक्षण और / या अनुमोदन के अधीन होते हैं (जैसा भारतीय लेखा मानक 114, '*नियामक आस्थगन लेखे*' में परिभाषित है)।

## पट्टे

घ9. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट 'ग', यह निर्धारित करना कि क्या की गई व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है के अनुच्छेद 6-9 का प्रयोग यह निश्चित करने के लिए कर सकता है कि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान व्यवस्था में, भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर, जहाँ प्रभाव के सारवान नहीं होने की संभावना है को छोड़कर, पट्टा का समावेश होता है या नहीं।

घ9क. यदि प्रथमकर अंगीकर्ता ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार वही निश्चय किया है कि व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है या नहीं, जैसाकि वह भारतीय लेखा मानक 17 के परिशिष्ट 'ग' के अनुसार अपेक्षित है किन्तु उपर्युक्त घ 9 के अनुसार अपेक्षित तारीख से भिन्न

तारीख पर, तो प्रथमबार अंगीकर्ता को उस निश्चय का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक नहीं है जब यह भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करता है। प्रतिष्ठान के लिए पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार समान निश्चय करने के लिए कि व्यवस्था में पट्टा समाविष्ट है उस निश्चय को वही परिणाम देना होगा जो परिणाम भारतीय लेखा मानक 17 का परिशिष्ट ग का प्रयोग करके हुआ होता।

घ9कक.जब पट्टा में भूमि एवं भवन, दोनों तत्वों को शामिल किए जाते हैं तो प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को उस तारीख पर विद्यमान तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वित्त या परिचालन पट्टा के रूप में प्रत्येक तत्व के वर्गीकरण कर सकता है। यदि वित्त पट्टा के रूप में नया वर्गीकृत कोई भूमि पट्टा है तो प्रथमबार अंगीकर्ता उस तारीख पर उचित मूल्य पर आस्तियों एवं दायित्व को मान्यता दे सकता है और उन उचित मूल्यों के बीच के किसी अन्तर को प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाती है।

घ 10-11[देखें परिशिष्ट 1]

### संचयी रूपान्तरण अंतर

घ 12. भारतीय लेखा मानक 21 प्रतिष्ठान से निम्नलिखित अपेक्षा करता है:

- (क) अन्य व्यापक आय में कुछ रूपान्तरण अन्तरों को मान्यता देना तथा इनको इक्विटी के एक पृथक घटक में संचय करना, तथा
- (ख) विदेशी परिचालन के निपटान पर उसके लिए संचयी रूपान्तरण अन्तर को इक्विटी से लाभ या हानि के रूप में निपटान पर लाभ या हानि के भाग के रूप में पुनर्वर्गीकृत करना (यदि लागू हो तो, संबंधित प्रतिरक्षाओं पर लाभों या हानियों सहित)।

घ13. तथापि, प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन संचयी रूपान्तरण अन्तरों के लिए इन अपेक्षाओं का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान थे। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता इस छूट का प्रयोग करता है तो:

- (क) सभी विदेशी परिचालनों के लिए संचयी रूपान्तरण अन्तरों को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को शून्य होना मान लिया जाता है , तथा
- (ख) किसी विदेशी परिचालन के परवर्ती निपटान पर लाभ या हानि के उन रूपान्तरण अन्तरों से छोड़ दिया जाएगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले उत्पन्न हुए थे तथा बाद के रूपान्तरण अन्तरों को शामिल किया जाएगा।

## दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें

घ13कक प्रथमबार अंगीकर्ता प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ होने के तुरन्त पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के रूपान्तरण से उत्पन्न विनिमय अंतरों के लिए अंगीकृत नीति को पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार जारी रख सकता है।

### अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश

घ 14. जब प्रतिष्ठान पृथक वित्तीय विवरण तैयार करता है, तो भारतीय लेखा मानक 27 इससे अनुषंगी प्रतिष्ठानों, संयुक्त उद्यमों तथा सहयोगी प्रतिष्ठानों में इसके निवेशों का लेखा निम्नलिखित दोनों में से एक आधार पर करने की अपेक्षा करता है:

(क) लागत पर; अथवा

(ख) भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार

घ15. यदि प्रथमबार अंगीकर्ता ऐसे निवेश का माप भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार लागत पर करता है, तो यह उस निवेश को निम्नलिखित राशियों में से एक पर अपने पृथक प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में मापेगा :

(क) भारतीय लेखा मानक 27 के अनुसार निश्चित की गई लागत; या

(ख) मानी गई लागत। ऐसे निवेश की मानी गई लागत निम्नलिखित होगी:

(i) प्रतिष्ठान के भारतीय लेखा मानक की ओर संक्रमण की तारीख पर अपने पृथक वित्तीय विवरणों में उसका उचित मूल्य; या

(ii) उस तारीख पर पूर्व 'जी ए ए पी' की अग्रणीत राशि।

प्रथमबार अंगीकर्ता प्रत्येक अनुषंगी प्रतिष्ठान, संयुक्त उद्यम या सहयोगी उद्यम में अपने निवेश को मापने के लिए ऊपर या तो (i) या (ii) को चुन सकता है जिसके लिए यह मानी गयी लागत का प्रयोग करते हुए मापने का चयन करता है।

### अनुषंगी प्रतिष्ठानों, सहयोगी प्रतिष्ठानों तथा संयुक्त उद्यमों की आस्तियाँ तथा दायित्व

घ16. यदि एक अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने मूल प्रतिष्ठान की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्ता बनता है, तो अनुषंगी प्रतिष्ठान अपने वित्तीय विवरण में अपनी आस्तियों तथा दायित्वों को निम्नलिखित दोनों में से किसी एक में मापेगा:

- (क) वे अग्रणीत राशियाँ जो भारतीय लेखा मानकों की ओर मूल प्रतिष्ठान के संक्रमण की तारीख के आधार पर मूल प्रतिष्ठान के समेकित वित्तीय विवरणों में सम्मिलित की जाएंगी, यदि समेकन प्रक्रियाओं तथा व्यवसायिक संयोजन के प्रभावों के लिए कोई समायोजन नहीं किए गए थे जिसमें मूल प्रतिष्ठान ने अनुषंगी प्रतिष्ठान को अधिगृहीत किया है (यह चयन निवेश प्रतिष्ठान के अनुषंगी प्रतिष्ठान के लिए उपलब्ध नहीं है, जैसा कि भारतीय लेखा मानक 110 में परिभाषित है, तथा जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाना अपेक्षित है),
- (ख) भारतीय लेखा मानकों की ओर अनुषंगी प्रतिष्ठान के संक्रमण की तारीख के आधार पर इस भारतीय लेखा मानक के शेष के अनुसार अपेक्षित अग्रणीत राशियाँ । ये अग्रणीत राशियाँ (क) में वर्णित अग्रणीत राशियों से भिन्न हो सकती हैं:-
- (i) जब इस भारतीय लेखा मानक में छूटों का परिणाम उन मापों में होता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर आधारित होते हैं।
- (ii) जब अनुषंगी प्रतिष्ठान के वित्तीय विवरणों में प्रयुक्त लेखा नीतियाँ समेकित वित्तीय विवरणों में लेखा नीतियों से भिन्न होती हैं। उदाहरण के लिए, अनुषंगी प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 16, 'संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर में लागत मॉडल को अपनी लेखा नीति के रूप में प्रयोग कर सकता है जबकि समूह पुनर्मूल्यांकन मॉडल का प्रयोग कर सकता है।

इसी प्रकार का चयन उस सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम के लिए उपलब्ध होता है जो उस प्रतिष्ठान की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्ता बनता है जिसका इस पर महत्वपूर्ण प्रभाव या संयुक्त नियंत्रण होता है।

- घ17 तथापि, यदि प्रतिष्ठान अपने अनुषंगी प्रतिष्ठान या सहयोगी प्रतिष्ठान या संयुक्त उद्यम की अपेक्षा बाद में प्रथमबार अंगीकर्ता बनता है तो प्रतिष्ठान अपने समेकित वित्तीय विवरण में अनुषंगी प्रतिष्ठान (या सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम) की आस्तियों तथा दायित्वों का माप उन्हीं अग्रणीत राशियों पर करेगा जैसा अनुषंगी प्रतिष्ठान (या सहयोगी प्रतिष्ठान अथवा संयुक्त उद्यम) के वित्तीय विवरणों में किया गया है। यह माप समेकन के लिए तथा इक्विटी लेखा समायोजनों के लिए और उस व्यवसायिक संयोजन के लिए जिसमें प्रतिष्ठान ने अनुषंगी प्रतिष्ठान को अधिगृहीत किया है समायोजित किए जाएंगे। इस अपेक्षा के होते हुए भी एक गैर-निवेश मूल प्रतिष्ठान समेकन के लिए अपवाद का प्रयोग नहीं करेगा जो किसी निवेश अनुषंगी-प्रतिष्ठानों द्वारा प्रयुक्त होता है। उसी प्रकार, यदि मूल प्रतिष्ठान अपने पृथक वित्तीय विवरणों के लिए अपने समेकित वित्तीय

विवरणों की अपेक्षा पहले या बाद में प्रथमबार अंगीकर्ता बनता है तो यह अपनी आस्तियों तथा दायित्वों का माप, समेकन समायोजनों को छोड़कर, दोनों वित्तीय विवरणों के लिए समान राशियों पर करेगा।

### मिश्रित वित्तीय लिखतें

घ18. भारतीय लेखा मानक 32, '*वित्तीय लिखतें : प्रस्तुतिकरण*', प्रतिष्ठान से अपेक्षा करता है कि वह पृथक दायित्व तथा इक्विटी घटकों में प्रारम्भ में ही मिश्रित वित्तीय लिखत का विभाजन करे। यदि दायित्व घटक अब बकाया नहीं है तो भारतीय लेखा मानक 32 का पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग इक्विटी के दो हिस्सों को पृथक करता है। पहला हिस्सा प्रतिधारित अर्जन में है और दायित्व घटक पर अभिवृद्ध संचयी ब्याज को निरूपित करता है। अन्य हिस्सा मूल इक्विटी घटक को निरूपित करता है। तथापि, इस भारतीय लेखा मानक के अनुसार प्रथमबार अंगीकर्ता को, यदि दायित्व घटक भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर अब बकाया नहीं है तो, इन दो हिस्सों को पृथक करने की आवश्यकता नहीं है।

### पूर्व में मान्यता प्राप्त वित्तीय लिखतों का पदनामांकन

घ19. भारतीय लेखा मानक 109 वित्तीय दायित्व को (बशर्ते यह कुछ निश्चित मानदंड को पूरा करता है) लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व के रूप में पदनामांकन किए जाने के लिए अनुमति देता है। इस अपेक्षा के बावजूद, प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर किसी वित्तीय दायित्व को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर पदनामांकन करने के लिए अनुमति है बशर्ते दायित्व उस तारीख को भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.2.2 में दिए गए मानदंड को पूरा करता है।

घ19क. प्रतिष्ठान एक वित्तीय आस्ति को उन तथ्यों तथा परिस्थितियों के आधार पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 4.1.5 के अनुसार लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए रूप में पदनामित कर सकता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान होते हैं।

घ19ख. प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.5 के अनुसार उन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर इक्विटी लिखत में किए गए निवेश को पदनामित कर सकता है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को विद्यमान होते हैं।

घ19ग. एक वित्तीय दायित्व के लिए, जिसे लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय दायित्व के रूप में पदनामित किया गया है, एक प्रतिष्ठान यह निर्धारित करेगा कि भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 5.7.7 में दिए गए व्यवहार उन तथ्यों एवं

परिस्थितियों के आधार पर लाभ या हानि में लेखा असंतुलन को सृजित करेगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख को विद्यमान होते हैं।

### प्रारम्भिक मान्यता पर वित्तीय आस्तियों तथा वित्तीय दायित्वों का उचित मूल्य माप

- घ20. इस भारतीय लेखा मानक के अनुच्छेद 7 एवं 9 में दी गई अपेक्षाओं के बावजूद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद ख 5.1.2क (ख) में दी गई अपेक्षाओं का प्रयोग भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि को या उसके बाद किए गए लेन-देनों के लिए भावी प्रभाव से कर सकते हैं।

### संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर की लागत में सम्मिलित विस्थापन दायित्व

- घ21. भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'क', *मौजूदा विस्थापन, पुनर्बहाली और इसी प्रकार के अन्य दायित्वों में परिवर्तन* विस्थापन, पुनर्बहाली तथा इसी प्रकार के अन्य दायित्वों में विशिष्ट परिवर्तनों को उस आस्ति की लागत में जोड़े जाने या घटाने की अपेक्षा करता है जिससे यह संबंधित होता है; तब आस्ति की समायोजित मूल्यहास योग्य राशि इसके शेष उपयोगी जीवन के दौरान भावी प्रभाव से मूल्यहासित होती है। प्रथमबार अंगीकर्ता को ऐसे दायित्वों में परिवर्तनों के लिए इन अपेक्षाओं का अनुपालन करना आवश्यक नहीं है जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले हुए थे। यदि प्रथमबार अंगीकर्ता इस छूट का उपयोग करता है तो वह:

(क) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर दायित्व का माप करेगा;

(ख) जिस सीमा तक दायित्व भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'क' के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, उस राशि का प्राक्कलन करेगा जो संबंधित आस्ति की लागत में तब सम्मिलित की गई होगी जब दायित्व पहली बार उत्पन्न हुआ होगा, उस ऐतिहासिक जोखिम समायोजित बट्टा दर (दरों) का सर्वोत्तम प्राक्कलन का प्रयोग करते हुए इसे बट्टागत किया जाएगा जो मध्यवर्ती अवधि पर उस दायित्व के लिए प्रयुक्त की गई होगी।

- घ 21क.प्रतिष्ठान जो अनुच्छेद घ 8क (ख) में छूट का प्रयोग करता है (विकास तथा उत्पादन चरणों में तेल और गैस आस्तियों के लिए जिन्हें उन लागत केन्द्रों में लेखांकित किया जाता है जिसमें पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत वृहत भौगोलिक क्षेत्र की सभी सम्पत्तियां सम्मिलित होती हैं) भारतीय लेखा मानक 16 के अनुच्छेद घ21 या परिशिष्ट 'क' का प्रयोग करने के बजाय निम्नलिखित करेगा:

(क) भारतीय लेखा मानक 37 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विस्थापन, पुनर्बहाली तथा उसी प्रकार के दायित्वों का माप करेगा; तथा

- (ख) प्रतिष्ठान के पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निश्चित की गयी भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन दायित्वों की अग्रणीत राशि और उपर्युक्त राशि के बीच किसी प्रकार के अन्तर को प्रतिधारित अर्जन में प्रत्यक्ष रूप से मान्यता देगा।

**भारतीय लेखा मानक 115 के लिए परिशिष्ट 'ग', सेवा रियायत व्यवस्थाएं, के अनुसार लेखांकित वित्तीय आस्तियाँ या अमूर्त आस्तियाँ**

घ22 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 115 के परिशिष्ट ग का प्रयोग करते समय निम्नलिखित उपबन्धों का प्रयोग कर सकता है:

- (i) अनुच्छेद (ii) के अधीन लेखा नीतियों में परिवर्तनों का लेखा , प्रथम भारतीय लेखा मानक की वित्तीय रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ के तुरन्त पहले समाप्त होने वाली अवधि के लिए पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त टोल सड़को (मार्गों) से संबंधित सेवा रियायत व्यवस्थाओं से उत्पन्न अमूर्त आस्तियों के परिशोधन के लिए अपनायी गयी नीति को छोड़कर, भारतीय लेखा मानक 8 के अनुसार अर्थात् पूर्वव्यापी प्रभाव से, किया जाता है,
- (ii) यदि, किसी विशेष सेवा व्यवस्था के लिए, एक परिचालक के लिए भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर पूर्वव्यापी प्रभाव से इस परिशिष्ट का प्रयोग करना अव्यवहार्य है, तो वह निम्नप्रकार करेगा:
- (क) उन वित्तीय आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों को मान्यता देगा जो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर विद्यमान थे;
- (ख) उन वित्तीय तथा अमूर्त आस्तियों (तथापि पूर्ववर्ती वर्गीकृत) पूर्व अग्रणीत राशियों को उनकी उस तारीख पर अग्रणीत राशियों के रूप में प्रयोग करेगा; तथा
- (ग) क्षतिग्रस्तता के लिए उस तारीख पर मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों तथा अमूर्त आस्तियों का तब तक परीक्षण करना, जब तक यह अव्यवहार्य नहीं हो, जिस मामले में क्षतिग्रस्तता के लिए राशियों परीक्षण वर्तमान अवधि के प्रारम्भ में किया जायेगा।
- (iii) पूर्वव्यापी रूप से निर्धारण के दो पहलू हैं: पुनर्वर्गीकरण तथा पुनर्माप। आमतौर पर परिचालक के तुलन पत्र में पूर्व में सम्मिलित सभी राशियों के उपयुक्त वर्गीकरण को पूर्वव्यापी प्रभाव से निश्चय करना व्यवहार्य होगा, किन्तु वह आस्तियों की सेवा व्यवस्था का पूर्व व्यापी पुनर्माप करना हमेशा व्यवहार्य नहीं हो सकता है। तथापि, तथ्य को प्रकट किया जाना चाहिए।

## उधार लागतें

घ23.-घ24. [देखें परिशिष्ट 1]

### इक्विटी लिखतों द्वारा वित्तीय दायित्वों का समापन

घ25 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से भारतीय लेखा मानक 109 के परिशिष्ट 'ड', *इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति*, का प्रयोग कर सकता है।

### अति उच्च मुद्रास्फीति

घ26. यदि प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा वह है जो अति उच्च मुद्रास्फीतिकारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा थी या है, तो यह निश्चय करेगा कि भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पहले यह अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन था या नहीं। यह उन प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जो भारतीय लेखा मानकों को प्रथमबार अंगीकार करता है, साथ-साथ उन प्रतिष्ठानों पर जिन्होंने भारतीय लेखा मानकों का पूर्व में प्रयोग किया है।

घ27 अति उच्च मुद्रास्फीतिकारी अर्थव्यवस्था की मुद्रा अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन होता है यदि इसमें निम्नलिखित दोनों विशेषताएँ होती हैं:

(क) उस मुद्रा में लेन-देनों तथा शेषों के साथ सभी प्रतिष्ठानों के लिए विश्वसनीय सामान्य कीमत सूचकांक उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) मुद्रा तथा अपेक्षाकृत स्थिर विदेशी मुद्रा के बीच विनिमयता विद्यमान नहीं होती है।

घ28. प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन कार्यात्मक मुद्रा के सामान्यीकरण की तारीख पर होना बन्द हो जाती है। यह वह तारीख है जब कार्यात्मक मुद्रा में अनुच्छेद घ 27 में उल्लिखित विशेषताओं में से कोई एक, या दोनों नहीं होती है, या जब प्रतिष्ठान की कार्यात्मक मुद्रा का उस मुद्रा में परिवर्तन होता है जो अति उच्च मुद्रास्फीति के अधीन नहीं होती है।

घ29. जब प्रतिष्ठान के भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि कार्यात्मक मुद्रा के प्रसामान्यीकरण की तारीख को, या उसके बाद होता है, तो प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उचित मूल्य पर, कार्यात्मक मुद्रा प्रसामान्यीकरण तारीख के पहले धारित सभी आस्तियों एवं दायित्वों का मापने के लिए चयन कर सकता है। प्रतिष्ठान उस उचित मूल्य का प्रयोग प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र में उन आस्तियों एवं दायित्वों की मानी गयी लागत के रूप में कर सकता है।

घ30. जब कार्यात्मक मुद्रा के प्रसामान्यीकरण की तारीख 12 महीन की तुलनात्मक अवधि के अन्तर्गत पड़ती है, जो तुलनात्मक अवधि 12 महीने से कम हो सकती है, बशर्ते कि



वित्तीय अवधि का पूरा सेट (जैसा कि भारतीय लेखा मानक 1 के अनुच्छेद 10 द्वारा अपेक्षित है) उस अल्प अवधि के लिए उपलब्ध होता है।

### संयुक्त व्यवस्थाएँ

घ 31. [देखें परिशिष्ट 1]

### संयुक्त उद्यम-आनुपातिक समेकन से इक्विटी प्रणाली की ओर संक्रमण

घ31कक. आनुपातिक समेकन से इक्विटी प्रणाली में परिवर्तन होने के समय, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर संयुक्त उद्यम में अपने निवेश को मान्यता देगा। उस प्रारम्भिक निवेश को उन आस्तियों एवं दायित्वों की अग्रणीत राशियों के कुल जोड़ के रूप में मापा जाएगा जिसे प्रतिष्ठान ने पूर्व में अधिग्रहण से उत्पन्न किसी ख्याति सहित आनुपातिक रूप से समेकित किया था। यदि पूर्व में ख्याति नकदी जनक इकाई या नकदी जनक इकाइयों के समूह से संबंधित होती है, तो प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यम तथा नकदी जनक इकाई या नकदी जनक इकाइयों के समूह यह संबंध रखता है कि प्रासंगिक अग्रणीत राशियों के आधार पर संयुक्त उद्यम के प्रति ख्याति का आबंटन करेगा जिससे ।

घ31कख. भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तारीख पर ऊपर अनुच्छेद घ 31कक के अनुसार संयुक्त उद्यम में निवेश के शेष को प्रारम्भिक मान्यता पर निवेश की मानी गई लागत के रूप में समझा जाएगा।

घ31कग. प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर भारतीय लेखा मानक 36 के अनुसार क्षतिग्रस्तता के लिए संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश का इस पर विचार किए बिना कि ऐसा कोई संकेत है या नहीं कि निवेश क्षतिग्रस्त हो सकता है, परीक्षण करेगा। किसी परिणामी क्षतिग्रस्तता को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजन के रूप में मान्यता दी जाएगी। भारतीय लेखा मानक 12, 'आयकर' के अनुच्छेद 15 एवं 24 में प्रारम्भिक मान्यता अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संयुक्त उद्यमों के लिए संक्रमण अपेक्षाओं के प्रयोग के परिणामस्वरूप संयुक्त उद्यम में किए गए निवेश को मान्यता देता है जो पूर्व में आनुपातिक रूप से समेकित किए गए थे।

घ 31कघ. यदि पूर्व में आनुपातिक रूप से समेकित किए गए सभी आस्तियों एवं दायित्वों के कुल जोड़ का परिणाम ऋणात्मक निवल आस्तियों में होता है तो प्रतिष्ठान यह निर्धारण करेगा कि क्या ऋणात्मक निवल आस्तियों के संबंध में इसकी कोई कानूनी या परिकल्पित बाध्यता है, और यदि ऐसा है तो प्रतिष्ठान तदनुसारी दायित्व को मान्यता देगा। यदि प्रतिष्ठान यह निर्णय करता है कि ऋणात्मक निवल आस्तियों के संबंध में इसकी कोई कानूनी या परिकल्पित बाध्यता नहीं है तो यह तदनुसारी दायित्व को

मान्यता नहीं देगा किन्तु यह भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन को समायोजित करेगा। प्रतिष्ठान इस तथ्य का प्रकटन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर इसके संयुक्त उद्यमों की हानियों के संचयी अमान्यता प्राप्त हिस्से के साथ करेगा।

घ31कड. प्रतिष्ठान आस्तियों एवं दायित्वों के विश्लेषण का प्रकटन करेगा जिन्हें भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर एकल निवेश शेष के रूप में जोड़ा गया है। वह प्रकटन भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर सभी संयुक्त उद्यमों के लिए संयुक्त तरीके से तैयार किया जाएगा।

घ31कच. भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रारम्भिक मान्यता के बाद प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानक 28 के अनुसार इक्विटी प्रणाली का प्रयोग करते हुए संयुक्त उद्यमों में अपने निवेश के लिए लेखा करेगा।

### **संयुक्त परिचालन इक्विटी पद्धति से आस्तियों तथा दायित्वों के लेखांकन की ओर संक्रमण**

घ31कछ. इक्विटी पद्धति से संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में आस्तियों तथा दायित्वों के लिए लेखा की ओर परिवर्तन के समय, प्रतिष्ठान भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उस निवेश को जिसका पूर्व में इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके लेखा किया गया है तथा किसी अन्य मदों को जो भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 के अनुसार व्यवस्था में प्रतिष्ठान के निवल निवेश का भाग होते हैं अमान्य करेगा तथा संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में किसी ख्याति सहित, जो निवेश की अग्रणीत राशि का भाग हो सकता है, प्रत्येक आस्तियों तथा दायित्वों के अपने हिस्से को मान्यता देगा।

घ31कज. प्रतिष्ठान अनुबंधात्मक व्यवस्था के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपात में अपने अधिकारों एवं दायित्वों के आधार पर संयुक्त परिचालन से संबंधित आस्तियों तथा दायित्वों में अपने हित का निश्चय करेगा। प्रतिष्ठान इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने में प्रतिष्ठान द्वारा प्रयुक्त सूचना के आधार पर भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर निवेश की अग्रणीत राशि से उन्हें अलग करके आस्तियों एवं दायित्वों की प्रारम्भिक अग्रणीत राशि को मापता है।

घ31कझ. किन्हीं अन्य मदों के साथ जो भारतीय लेखा मानक 28 के अनुच्छेद 38 के अनुसार व्यवस्था में प्रतिष्ठान के निवल निवेश के भाग होती है, इक्विटी पद्धति का प्रयोग करते हुए पूर्व में लेखांकित निवेश से उत्पन्न अन्तर तथा किसी ख्याति सहित आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि जिसको मान्यता दी गई है, निम्नप्रकार होगी:

- (क) यदि किसी ख्याति सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि अमान्यता प्राप्त निवेश (तथा कोई अन्य मदें जो प्रतिष्ठान के निवल निवेश का भाग होती हैं) से अधिक होती है तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किसी शेष बचे अन्तर के साथ निवेश से संबंधित किसी ख्याति के प्रति समंजित होगी।
- (ख) यदि किसी ख्याति सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों की निवल राशि अमान्यता प्राप्त निवेश की राशि (तथा कोई अन्य मदें जो प्रतिष्ठान के निवल निवेश के भाग होती हैं) से कम होती है तो भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित होगी।

घ31कज इक्विटी पद्धति से आस्तियों तथा दायित्वों के लिए लेखांकन में परिवर्तित होने वाला प्रतिष्ठान अमान्यता प्राप्त निवेश तथा मान्यता प्राप्त आस्तियों एवं दायित्वों के बीच किसी शेष बचे अन्तर सहित जिसे प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किया गया है भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर समाधान देता है।

घ31कट. भारतीय लेखा मानक 12 के अनुच्छेद 15 तथा 24 में प्रारम्भिक मान्यता अपवाद तब लागू नहीं होता है जब प्रतिष्ठान संयुक्त परिचालन में अपने हित से संबंधित आस्तियों तथा दायित्वों को मान्यता देता है।

### प्रतिष्ठान के पृथक वित्तीय विवरणों में संक्रमण काल के उपबंध

घ31कठ. एक प्रतिष्ठान जो भारतीय लेखा मानक 27 के अनुच्छेद 10 के अनुसार अपने पृथक वित्तीय विवरणों में संयुक्त परिचालन में अपने हित के लिए पूर्व में लागत पर निवेश के रूप में अथवा भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार लेखांकन करता था, निम्नप्रकार करेगा :

- (क) अनुच्छेद घ31कछ-घ31कझ के अनुसार निश्चित की गई राशियों पर संयुक्त परिचालन में अपने हित के संबंध में निवेश को अमान्य करेगा तथा आस्तियों एवं दायित्वों को मान्यता देगा।
- (ख) अमान्यता प्राप्त निवेश तथा प्रतिधारित अर्जन के प्रति समायोजित किसी शेष अन्तर सहित मान्यता प्राप्त आस्तियों तथा दायित्वों के बीच भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर समाधान देगा।

### सतही खान के उत्पादन चरण में निकासी लागतें

घ32 प्रथमबार अंगीकर्ता भारतीय लेखा मानक 16 के परिशिष्ट 'ख', *सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें*, को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि से लागू कर सकता है। भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर पूर्व में मान्यता

प्राप्त उस आस्ति शेष को जो उत्पादन चरण के दौरान की गई निकासी गतिविधियों के परिणाम (पूर्व निकासी आस्ति) को उस वर्तमान आस्ति के भाग के रूप में उस सीमा तक पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा, जिससे निकासी गतिविधि संबंधित है, जो अयस्क समूह के पहचानयोग्य घटक में शेष रह जाता है जिसके साथ पूर्व निकासी आस्ति को संबद्ध किया जा सकता है। ऐसे शेषों को अयस्क समूह के पहचान किए गए घटक के शेष प्रत्याशित जीवनकाल में मूल्यह्रासित या परिशोधित किया जाएगा जिससे पूर्व निकासी आस्ति शेष संबंधित होता है। यदि अयस्क समूह का कोई पहचान योग्य घटक नहीं है जिससे वह पूर्व निकासी आस्ति संबंधित होती है तो इसको भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण तारीख पर प्रारम्भिक प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दी जाएगी।

### गैर-वित्तीय मद खरीदने या बेचने के लिए अनुबंधों का पदनामांकन

- घ33. भारतीय लेखा मानक 109 गैर-वित्तीय मद को खरीदने या बेचने के लिए कुछ अनुबंधों को लाभ या हानि के माध्यम से (देखें भारतीय लेखा मानक 109 का अनुच्छेद 2.5) उचित मूल्य पर मापे गए रूप में प्रारम्भ में अनुमति देता है। इस अपेक्षा के बावजूद, प्रतिष्ठान को भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन अनुबंधों को पदनामित करने के लिए अनुमति दी गई है जो लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए रूप में उस तारीख पर पहले से विद्यमान होते हैं लेकिन ऐसा केवल तभी होता है यदि वे उस तारीख पर भारतीय लेखा मानक 109 के अनुच्छेद 2.5 की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं तथा प्रतिष्ठान एक जैसे सभी अनुबंधों को पदनामित करता है।

### ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

- घ 34. प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नलिखित व्यावहारिक उपायों को एक या अधिक बार प्रयोग कर सकता है जब भारतीय लेखा मानक 115 को पूर्व व्यापी प्रभाव से लागू किया जा रहा हो:
- (क) पूरे किए गए अनुबंधों के लिए प्रतिष्ठान के लिए उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना आवश्यक नहीं है जो समान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अन्दर शुरू होते हैं तथा समाप्त होते हैं;
  - (ख) पूरे किए अनुबंधों के लिए, जिनके परिवर्तनशील प्रतिफल होते हैं, प्रतिष्ठान तुलनात्मक रिपोर्टिंग अवधियों में परिवर्तनशील प्रतिफल की राशियों का प्राक्कलन करने के बजाय, उस तारीख की लेन-देन कीमत का प्रयोग कर सकता है जिस तारीख पर अनुबंध पूरा किया गया था; तथा
  - (ग) प्रथम भारतीय लेखा मानक रिपोर्टिंग अवधि के प्रारम्भ होने के पहले प्रस्तुत सभी रिपोर्टिंग अवधियों के लिए प्रतिष्ठान द्वारा शेष कार्यनिष्पादन वाध्यताओं के प्रति आबंटित लेन-देन कीमत की राशि तथा इस बात के स्पष्टीकरण कि प्रतिष्ठान उस

राशि को राजस्व के रूप में मान्यता देने की प्रत्याशा करता है का प्रकटन अपेक्षित नहीं है।

घ34कक. अनुच्छेद घ 34 में किसी व्यावहारिक उपायों के लिए जिनका प्रतिष्ठान प्रयोग करता है, प्रतिष्ठान प्रस्तुत की गई सभी रिपोर्टिंग अवधियों के लिए सभी अनुबंधों में संगत रूप से उस उपाय का प्रयोग करेगा। इसके अतिरिक्त, प्रतिष्ठान निम्नलिखित सभी सूचनाओं का प्रकटन करेगा:

(क) जिन उपायों के प्रयोग किये गये हैं; तथा

(ख) प्रत्येक उन उपायों का प्रयोग करने पर प्राक्कलित प्रभाव का गुणात्मक निर्धारण जिस सीमा तक उचित रूप से संभव हो सकता है।

घ35. प्रथमबार अंगीकर्ता द्वारा उन अनुबंधों का पुनर्कथन करना अपेक्षित नहीं है जो प्रस्तुत की गई पूर्व अवधि के पहले पूरे हो गए थे। एक पूरा किया हुआ अनुबंध वह अनुबंध है जिसके लिए प्रतिष्ठान ने पूर्व 'जी ए ए पी' के अनुसार पहचान की गई सभी वस्तुओं या सेवाओं को अंतरित कर दिया है।

### **बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियाँ तथा बन्द परिचालन**

घ 35कक. भारतीय लेखा मानक 105 उन गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) जो बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए मानदंड को पूरा करते हैं, उन गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूहों) जो स्वामियों को संवितरण के लिए धारित किए गये हैं तथा उन परिचालनों के लिए जो बन्द किए जाने के रूप में वर्गीकृत किए जाने के मानदंड को पूरा करते हैं के लिए ऐसी पहचान की प्रारम्भिक तारीख पर अपनी अग्रणीत राशि तथा उचित मूल्य में से निम्नतर पर तथा बिक्री की लागत को घटाकर मापने की अपेक्षा करता है। प्रथमबार अंगीकर्ता निम्नप्रकार करता है:

(क) ऐसी आस्तियों तथा परिचालनों को भारतीय लेखा मानक 105 के अनुसार भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर बेचने के लिए लागतों को घटाकर अग्रणीत राशि और उचित मूल्य में से निम्नतर स्तर पर माप सकता है; तथा

(ख) उस राशि तथा भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि पर उन आस्तियों की पूर्व 'जी ए ए पी' के अंतर्गत निर्धारित की गई अग्रणीत राशि के बीच प्रतिधारित अर्जन में मान्यता दे सकता है।

परिशिष्ट ड

भारतीय लेखा मानकों से अल्पावधि छूटें

[देखें परिशिष्ट 1]

## परिशिष्ट 1

*टिप्पणी: यह परिशिष्ट भारतीय लेखा मानक 101, 'भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण' का अंग नहीं है। इस परिशिष्ट का प्रयोजन मात्र इतना है कि भारतीय लेखा मानक 101 और तदनुसूची अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आई एफ आर एस) 1, अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों का प्रथमबार अंगीकरण के बीच यदि कोई प्रमुख अन्तर है तो उन्हें स्पष्ट किया जाए।*

### **भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) 101, भारतीय लेखा मानकों का प्रथमबार अंगीकरण तथा आई एफ आर एस 1 के बीच प्रमुख अन्तर**

1. भारतीय लेखा मानक 101 का अनुच्छेद 3 यह विनिर्दिष्ट करता है कि प्रतिष्ठान के प्रथम भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण वे प्रथम वार्षिक वित्तीय विवरण हैं जिसमें प्रतिष्ठान कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार भारतीय लेखा मानकों को अंगीकृत करता है जबकि 'आई एफ आर एस' 1 प्रथम आई एफ आर एस वित्तीय विवरणों के अनेक उदाहरण देता है।
2. 'आई एफ आर एस' के अनुच्छेद 4, 4क, 4ख, 23क तथा 23ख दृष्टान्तों के ऐसे अनेक उदाहरण देते हैं जब प्रतिष्ठान इस 'आई एफ आर एस' का प्रयोग नहीं करता है। भारतीय लेखा मानक 101 कोई ऐसा उदाहरण नहीं देता है। 'आई एफ आर एस 1 की अनुच्छेद संख्याओं के साथ क्रमबद्धता बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 में इन अनुच्छेद संख्याओं को जारी रखा गया है।
3. आई एफ आर एस 1 पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' को उस लेखा आधार के रूप में परिभाषित करता है जिसे प्रथमबार अंगीकर्ता ने आई एफ आर एस को अंगीकार करने के तुरन्त पहले प्रयुक्त किया है। तथापि, भारतीय लेखा मानक 101, पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' को उस लेखा आधार के रूप में परिभाषित करता है जिसे प्रथम बार अंगीकर्ता भारत में अपनी रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के लिए भारतीय लेखा मानक को अंगीकार करने के तुरन्त पहले प्रयुक्त किया है। यह परिवर्तन भारतीय प्रतिष्ठानों के लिए यह अनिवार्य कर देता है कि जब वे भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण करें, तो वे पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के रूप में लागू विद्यमान अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों के अनुसार तैयार वित्तीय विवरणों को विचार में लें।
4. 'आई एफ आर एस' 1 के अंतर्गत अनुच्छेद ग4(ग) अपेक्षा करता है कि प्रथमबार अंगीकर्ता अपने प्रारम्भिक भारतीय लेखा मानक तुलन-पत्र से पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' के अनुसार मान्य की गई किसी मद को छोड़ देगा जो भारतीय लेखा मानक के अंतर्गत आस्ति या दायित्व के रूप में मान्यता के लिए योग्य नहीं होती है। प्रथमबार अंगीकर्ता कुछ विशिष्ट दृष्टान्तों को छोड़कर जहां ख्याति में समायोजन की अपेक्षा होती है, संक्रमण की तारीख को प्रतिधारित अर्जन में उस परिणामी परिवर्तन का लेखा करेगा। ऐसे विशिष्ट दृष्टान्तों

में, जहाँ आई एफ आर एस 1 ख्याति में समायोजन की अनुमति देता है, वहाँ भारतीय लेखा मानक 1 के अन्तर्गत इसे उस सीमा तक पूँजी आरक्षिति के साथ समायोजित किया जा सकता है जहाँ तक ऐसी समायोजन राशि पूँजी आरक्षिति में उपलब्ध शेष से अधिक नहीं होती है।

5. आई एफ आर एस 1 के अन्तर्गत दी गयी छूटों के अतिरिक्त भारतीय लेखा मानक 101 दीर्घावधि विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों तथा 'टोल' सडकों से संबंधित सेवा रियायत व्यवस्थाओं में कुछ वैकल्पिक छूटों को भी देता है। तदानुसार, अनुच्छेद 6 तथा घ 22 को संशोधित किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद घ13 के बाद शीर्षक तथा अनुच्छेद घ13कक जोड़े गए हैं।
6. अन्य आई एफ आर एस के पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रयोग के लिए कुछ विशेष आई एफ आर एस 1 अपवाद अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबन्धों का जिक्र करते हैं। तथापि, चूंकि भारतीय लेखा मानक संक्रमणकालीन उपबन्ध नहीं देते हैं अतः अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबन्धों को भारतीय लेखा मानक 101 के अनुच्छेदों ख8क, ख8ख, ख8घ, ख8ड., ख8ड.क तथा ख8ड.ख में शामिल किया गया है।
7. आई एफ आर एस 1 के परिशिष्ट 'घ' में कुछ विशेष छूटें अन्य 'आई एफ आर एस' के संक्रमणकालीन उपबंधों का जिक्र करती है। तथापि, चूंकि भारतीय लेखा मानक संक्रमणकालीन उपबंध नहीं देते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा गया, अन्य आई एफ आर एस में उचित संक्रमणकालीन उपबंधों को भारतीय लेखा मानक 101 के परिशिष्ट 'घ' की संबंधित छूटों में शामिल किया गया है। आई एफ आर एस 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद अन्य आई एफ आर एस के संक्रमणकालीन उपबंधों को प्रदान करते हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित किया गया है:
  - (i) अनुच्छेद घ 4 में आई एफ आर एस 4, *बीमा अनुबंध*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित है।
  - (ii) अनुच्छेद घ 9 में आई एफ आर आई सी 4, *यह निर्धारण करना की क्या की गयी व्यवस्था में कोई पट्टा समाविष्ट है*, उपबंध सम्मिलित है।
  - (iii) अनुच्छेद घ 22 में आई एफ आर आई सी 12, *सेवा रियायत व्यवस्था*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित है।
  - (iv) अनुच्छेद घ 25 में आई एफ आर आई सी 19, *इक्विटी लिखतों के साथ वित्तीय दायित्वों की समाप्ति*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित है।
  - (v) अनुच्छेद घ 31 में आई एफ आर एस 11, *संयुक्त व्यवस्थाएं*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित है।
  - (vi) अनुच्छेद घ 32 में आई एफ आर आई सी 20, *एक सतही खान के उत्पादन चरण की निकासी लागतें*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित है।
  - (vii) अनुच्छेद घ 34 व घ 35 में आई एफ आर एस 15, *ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व*, के संक्रमणकालीन उपबंध सम्मिलित हैं।



8. आई एफ आर एस 1 में जैसे वैकल्पिक छूटों के लिए उपबंध हैं जिन्हें प्रतिष्ठान अपने पूर्ववर्ती 'जी ए ए पी' से आई एफ आर एस की ओर संक्रमण के समय प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार के उपबंध भारतीय लेखा मानक 101 में जारी रखे गए हैं। तथापि, कुछ जैसे परिवर्तन किए गए हैं जिन्हें व्यापक रूप से निम्नलिखित के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है:

(क) *भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमण की तिथि के पूर्व की प्रभावी तिथियों को हटाना । आई एफ आर एस 1 ऐसी विभिन्न तिथियों का प्रावधान करता है जिस तिथि से एक मानक क्रियान्वित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए,*

आई एफ आर एस 1 का अनुच्छेद घ2 यह प्रावधान करता है कि उन इक्विटी लिखतों पर जो 7 नवम्बर, 2002 के बाद जारी किए गए थे तथा (क) आई एफ आर एस की ओर संक्रमण की तिथि और (ख) 1 जनवरी, 2005 में से जो बाद की तारीख हो उसके पहले निहित थे, प्रतिष्ठान को आई एफ आर एस 2 का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित तो किया जाए किन्तु उसके लिए ऐसा करना अपेक्षित नहीं है। तथापि, भारतीय लेखा मानक 101 के प्रयोजनों के लिए इन सभी तिथियों को प्रतिष्ठान द्वारा इन संपरिवर्तित मानकों अर्थात् भारतीय लेखा मानकों को अंगीकार करने के लिए चयनित संक्रमण की तिथि से मेल खाने के लिए परिवर्तित किया गया है।

(ख) *भारत के लिए अप्रासंगिक उधार लागत छूटों को हटाना :*

आई एफ आर एस 1 का अनुच्छेद घ 23 संक्रमण की तिथि के बाद आई एफ आर एस की ओर अन्तरराष्ट्रीय लेखा मानक 23 के उपबंधों का भावी प्रभाव से प्रयोग करने के लिए कंपनियों से संक्रमणकालीन समायोजन की अपेक्षा करने का उपबंध करता है। तथापि, इसे भारतीय परिस्थिति में प्रासंगिक नहीं समझा गया था। जैसाकि लेखा मानक 16 आई ए एस 23 की तुलना में उधार लागतों के पूंजीकरण की प्रतिष्ठान से हमेशा अपेक्षा करता है जबकि आई ए एस 23 में यह ऐसी उधार लागत को व्यय के रूप में लेने का विकल्प दिया था।

(ग) *भारत के लिए प्रासांगिक बनाने के लिए मौजूदा छूटों का समावेश/संशोधन।  
उदाहरणार्थ:*

- 1 भारतीय लेखा मानक 16, *सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर* के पूर्व-व्यापी प्रयोग में संक्रमणकालीन राहत प्रदान करने के लिए अनुच्छेद घ7कक जोड़ा गया है। पूर्ववर्ती जीएएपी (गैप) के अनुसरण में भारतीय लेखा मानक के अन्तर्गत एक स्वीकार्य प्रारम्भिक बिन्दु के रूप में, अनुच्छेद घ7कक एक प्रतिष्ठान को यह विकल्प देता है कि वह भारतीय लेखा मानकों की ओर संक्रमणकालीन की तिथि को इन आस्तियों के अग्रणीत मूल्यों का प्रयोग कर सकता है। भारतीय लेखा मानक 101 में अनुच्छेद

27 कक को सम्मिलित किया गया है जो इस प्रकटन की अपेक्षा करता है कि यदि एक प्रतिष्ठान अनुच्छेद घ 7 कक के अनुसरण में दिये गये छूट विकल्प का प्रयोग करता है, तो प्रतिष्ठान उस तथ्य व उस लेखांकन का प्रकटन तब तक करेगा जब तक कि प्रतिष्ठान के तुलन-पत्र से सम्पत्ति, संयंत्र व उपस्कर की वे मदे निवेश सम्पतियां या अमूर्त आस्तियां जैसी भी स्थिति हो, अंधिकांशतया मूल्याहसित, क्षतिग्रस्त या अमान्य नहीं हो जाती है।

- 2 भारतीय लेखा मानक 17, पट्टे का प्रयोग करते हुए संक्रमण छूट प्रदान करने के लिए अनुच्छेद घ 9 कक जोड़ा गया है। अनुच्छेद घ9कक एक प्रतिष्ठान को संक्रमणकालीन तिथि के तथ्यों व परिस्थितियों की पट्टा व्यवस्थाओं के प्रयोग करने की अनुमति देता है। इसमें संक्रमणकालीन तिथि से भारतीय लेखा मानक तक वित्त या परिचालन पट्टा के रूप में प्रत्येक कारक के वर्गीकरण के निर्धारण के लिए भूमि व भवन दोनों को सम्मिलित करता है। इसके अलावा, यदि कोई भूमि पट्टा है जो वित्त पट्टा के रूप में नयी नयी वर्गीकृत है तो प्रथमवार अंशी कर्ता उस तिथि पर आस्तियों व दायित्वों को उचित मूल्य पर मान्यता दे सकता है और उन दोनों उचित मूल्यों में कोई अन्तर है तो उसे प्रतिधारित अर्जन के रूप में मान्यता दी जाती है।
- 3 भारतीय लेखा मानक 105, बिक्री के लिए धारित गैर चालू आस्तियां एवं बन्द परिचालन का प्रयोग करते हुए संक्रमण काल छुट देने के लिए अनुच्छेद घ 35 कक जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद घ 35कक एक प्रतिष्ठान को यह अनुमति देता है कि वह संक्रमणकालीन तिथि की परिस्थितियों का प्रयोग करते हुए इस प्रकार की आस्तियों या परिचालनों का माप अग्रणीत मूल्य और बिक्री लागत घटाकर उचित मूल्य, इनमें से जो भी कम है, उस पर करे।
9. आई एफ आर एस 1 का परिशिष्ट ड. 'आई एफ आर एस' से अल्पकालीन छूटें, जबकि भारतीय लेखा मानक 101 उपर्युक्त अल्पकालीन छूटें नहीं देता है। फिर भी, आई एफ आर एस 1 की परिशिष्ट संख्याओं के साथ क्रमबद्धता (एकरूपता) बनाए रखने के लिए भारतीय लेखा मानक 101 में परिशिष्ट 'ड.' को जारी रखा गया है।
10. आई एफ आर एस 9 'वित्तीय लिखतों' और आई एफ आर एस 15 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व क्रमशः 1 जनवरी 2018 व 1 जनवरी 2017 से प्रारम्भ वार्षिक अवधि से प्रभावी है। चूंकि उपर्युक्त दोनों मानक अभी प्रभावी नहीं हैं, इसलिए इन मानकों के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों को आई एफ आर एस 1 के वर्तमान पाठान्तर में सम्मिलित नहीं किया गया है। तथापि, तदनुसारी भारतीय लेखा मानक 109, 'वित्तीय लिखतें' और भारतीय लेखा मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व को आई एफ आर एस 1 सहित अन्य आई एफ आर एस के परिणामस्वरूप होने वाले संशोधनों के साथ जारी कर दिया

गया है। तदनुसार, भारतीय लेखा मानक 109 एवं भारतीय लेखा मानक 115 के परिणामस्वरूपी संशोधन भारतीय लेखा मानक 101 में सम्मिलित कर लिये गये हैं।

11. भारतीय लेखा मानक 101 में भिन्न शब्दावली का प्रयोग किया गया है, जैसे कि, शब्दों 'वित्तीय स्थिति विवरण' के स्थान पर शब्द 'तुलनपत्र' और शब्दों 'व्यापक आय विवरण' के स्थान पर शब्दों 'लाभ-हानि विवरण' का प्रयोग किया गया है।
12. आई एफ आर एस 1 में निम्नलिखित अनुच्छेद 'हटाये गये' के रूप में प्रदर्शित हैं। भारतीय लेखा मानक 101, की अनुच्छेद संख्याओं के साथ उक्त अनुच्छेदों की संख्याओं की कमबद्धता बनी रहे, अतः इस आशय से इन अनुच्छेद संख्याओं को भारतीय लेखा मानक में रहने दिया है:
  - (i) अनुच्छेद 19
  - (ii) अनुच्छेद घ 1 (ड)
  - (iii) अनुच्छेद घ 1 (ण)
  - (iv) अनुच्छेद घ10-11
  - (v) अनुच्छेद घ 24
  - (vi) अनुच्छेद घ 31